दिल्ली विकास प्राधिकरण पूर्व दिल्ली खेल परिसर नियम और विनियम

	प्रस्तावित नियम और विनियम
1.	परिचय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में खेलों के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व दिल्ली खेल परिसर की स्थापना की गई है। निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, पूर्व दिल्ली खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, एरोबिक्स, योगा, ताइक्वांडो, फिटनेस सेंटर (मल्टी जिम), तैराकी, जॉगिंग, स्केटिंग, स्क्रैश, चिल्ड्रन पार्क आदि की सुविधाएं हैं।
1.1	जिस भूमि पर पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पी डी के पी) बनाया गया है वह दि.वि.प्रा. की संपत्ति है। खेल परिसर, तथा उसमें निर्मित सभी सुविधाएं, दि. वि. प्रा. के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है। दि. वि. प्रा. के अलावा किसी भी व्यक्ति, संस्थान, एजेंसी, आदि को पूर्व दिल्ली खेल परिसर के प्रबंधन और मामलों में भागीदारी के अधिकार के लिए कोई वैधानिक प्रावधान, नियम, विनियम, उपनियम आदि नहीं हैं और पी डी के पी की सदस्यता वाले किसी भी व्यक्ति के पास पी डी के पी की संपत्ति, प्रबंधन और मामलों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। खेल परिसर का नियंत्रण और प्रबंधन हमेशा दि.वि.प्रा. के पास रहेगा जैसा कि यहां बताया गया है।
2.	उद्देश्य दि. वि. प्रा. पूर्व दिल्ली खेल परिसर (इसे बाद जिसे खेल परिसर कहा जाता है) के उद्देश्य हैं: क) मुख्य योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजक और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। ख) सामान्य रूप से दिल्ली के नागरिकों और विशेष रूप से खेल परिसर के सदस्यों के बीच खेल गतिविधियों और परस्पर सहायता और सद्भाव की भावना को प्रेरित करना। ग) विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे, टेनिस, स्क्रैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताइकांडो, एरोबिक्स, तैराकी आदि।
3.	सामान्य उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष,दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी।
4.	सदस्यताः सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल खेल परिसर में खेल के अधिकार प्रदान करती है। (क) व्यक्तिगत सदस्यता: भारतीय (सरकारी/गैर सरकारी)/विदेशी नागरिक। (ख) आश्रित सदस्यता (ग) एसोसिएट सदस्यता (घ) विरष्ठ नागरिक सदस्यता (ङ) निगमित (कॉर्पोरेट) सदस्यता: भारतीय / विदेशी कंपनियां (च) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यता (छ) अस्थायी सदस्यता (ज) विशेष अस्थायी सदस्यता (झ) मानद सदस्यता (ञ) विशेष मानद सदस्यता (ठ) दैनिक आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करें और खेलें) (ङ) विद्यालयी छात्रों के लिए छात्र सदस्यता (कक्षा 12 तक) दैनिक / मासिक
5.	व्यक्तिगत सदस्यता 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। एक बार दी गई सदस्यता किसी

10.	अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। रुपयों में प्रवेश शुल्क निर्धारित प्रवेश शुल्क के बराबर है। राशि का भुगतान एनआरआई के गैर निवासी खाते से रूपए में ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही बैंक से एक प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाणित करना चाहिए कि राशि उस व्यक्ति के एनआरआई खाते से डेबिट की गई है। अस्थायी सदस्यता
10.	अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। रुपयों में प्रवेश शुल्क निर्धारित प्रवेश शुल्क के बराबर है। राशि का भुगतान एनआरआई के गैर निवासी खाते से रूपए में ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही बैंक से एक प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाणित करना चाहिए कि राशि उस
10.	अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। रुपयों में
10.	
1	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यता:
	सकती हैं।
9.1	करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी संगठन और सूचिबद्ध कम्पनियाँ भी कॉर्पोरेट सदस्यता के लिये आवेदन कर
	विनिर्माण उद्योगों की सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये के तथा परामर्शी सेवाओं के लिए 5
	सरेंडर्ड कर दिए जाएंगे।
1	बदलवा सकती है और नामांकित के परिवर्तन से पहले अनुमोदन लेना होंगा। पिछले नामांकित व्यक्ति के कार्ड
	उपयोग करने की अनुमति दी जाएंगी। प्रायोजक(स्पोंसोरिंग) फर्म पूर्व सूचना देकर से नामित व्यक्ति का नाम
	शुल्क के अधीन हैं। एक नामित सदस्य को समय-समय पर निर्धारित मासिक सदस्यता शुल्क पर सुविधाओं का
J.	सार्वजनिक क्षेत्र और निजी वाणिज्यिक फर्म कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए पात्र हैं, जो अनुमोदन मिलने निर्धारित प्रवेश
9.	निगमित सदस्यता
	य मुगतान पर आश्रित सदस्य बन संकत है। हालाकि, आश्रित सदस्य के 21 वर्ष का आयु के बाद उस "एसासएट" सदस्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
	देना होगा। पात या पत्ना के अलावा, वारेष्ठ नागारक सदस्य के 21 वर्ष से कम आयु के बच्च सामान्य मासिक सदस्यता के भुगतान पर आश्रित सदस्य बन सकते हैं। हालाँकि, आश्रित सदस्य के 21 वर्ष की आयु के बाद उसे एसोसिएट
	विरष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी 60 वर्ष की आयु हो गई हो, इसके लिए आयु का प्रमाण देना होगा। पति या पत्नी के अलावा, वरिष्ठ नागरिक सदस्य के 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे सामान्य मासिक सदस्यता
8.	वरिष्ठ नागरिक सदस्यता
7.2	एसोसिएट सदस्यों को आश्रित सदस्यों को शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है।
7.1	एसोसिएट सदस्यों के लिए मासिक सदस्यता अंशदान व्यक्तिगत सदस्यों के समान होगा।
	(2) प्रचलित प्रुवेश शुल्क के 50% के बराबर गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा
	चाहिए।
	(1) एसोसिएट सदस्य बनने का विकल्प 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर प्रयोग किया जाना
	अधीन दे सकता है:-
	सकते हैं। रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएट सदस्यता को निम्नलिखित शर्तों के
	उपयोग किया है, यदि वह परिसर के उपयोग को जारी रखना चाहते हैं, तो एसोसिएट सदस्यता, के लिए आवेदन कर
,. 	21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एक सदस्य के आश्रित बच्चे, जिन्होंने एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिसर का
7.	एसोसिएट सदस्यताः
6.6	वर्ष में नए कार्ड बदले जाएंगे।
	के सीय लागू मासिक सदस्यता की मुगतान करना होगा, जयात, उसकी सदस्यता की स्वीकृति की तरिख सी आश्रित सदस्यता कार्ड एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और नवीनतम फोटो के साथ प्रत्येक 5
0.5	विद में किसी समय सदस्या के रूप में अपने/अपने आश्रिता की दाखिला देन के इच्छुके व्यक्ति की पूर्वव्यापी प्रमाव के साथ लागू मासिक सदस्यता का भुगतान करना होगा, अर्थात, उसकी सदस्यता की स्वीकृति की तारीख से।
6.5	हागा। बाद में किसी समय सदस्यों के रूप में अपने/अपने आश्रितों को दाखिला देने के इच्छुक व्यक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव
6.4	आश्रित बच्चे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आश्रित सदस्य नहीं रहेंगे। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड सरेंडर करना होगा।
6.4	आश्रितों को सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
6.3	जब तक आश्रितों के लिए सदस्यता का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया जाता है,
	प्रभावी होगी।
	सदस्य का होगा। ऐसे मामलों में मासिक सदस्यता उनके विवाहित होने के 5 माह या बच्चों की आयु 5 वर्ष होने पर
	पर बच्चों को आश्रित के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रितों के नाम, और उनकी सदस्यता के भुगतान का दायित्व
	पित/पत्नी को विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल करवा सकता है। इसी तरह 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने
6.2	जों भी सदस्य खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) की सदस्यता प्राप्त करने के बाद विवाह करता है, वह अपने
	खुलासा आवेदन- पत्र में किया जाना चाहिए।
	को सदस्य द्वारा नामित करना होगा और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन के समय उनके विवरण का
6.1	पति या पत्नी और कानूनी बच्चे (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच) आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। हालांकि, आश्रितों
6.	आश्रित की सदस्यता
	जार्गा। हालाकि, प्रवयन बांड आश्रिता का सदस्यता का मना करने वा स्वाकार करने का जायकार सुरावत रखता है।
Ì	से प्रभाव होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए परिवार के विवरण के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, प्रबंधन बोर्ड आश्रितों की सदस्यता को मना करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता
	आश्रित सदस्यों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित मासिक अंशदान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख
	l arrive money it in the site of more more on the form more a simulation of more in a second in a second in the se
	बीच) को नामांकित कर सकते हैं। आवेदन करने के समय सदस्य को आश्रितों को नामांकित करना आवश्यक है।

	सदस्यता है। परिवार में पति/पत्नी और बच्चे शामिल हैं। आश्रित(पति/पत्नी और बच्चे),आश्रित सदस्यता के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड /एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन
11.2	मोड के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमित नहीं है। अस्थाई सदस्यता पात्र आवेदकों को दी जाती है, यदि आवेदकों की संख्या अस्थायी सदस्यता की निर्धारित सीमा के भीतर है। यदि आवेदकों की संख्या सीमा से अधिक है,तो अस्थायी सदस्यता लॉट के कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से
	दी जाएगी। आवेदक को 5 से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के लिए स्व-प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्रों की स्कैन की हुई
11.3	प्रति के साथ-साथ स्वयं और आश्रितों के फोटो की स्कैन कॉपी के साथ आवेदन- पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा। खेल परिसरों के स्थायी सदस्यों के आश्रित बच्चे, खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग अस्थायी सदस्य के रूप में कर् सक्ते हैं, यदि वे आश्रित सदस्यता का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अस्थायी सदस्यता के अन्य
11.4	आवेदकों से प्राथमिकता दी जा सकती है। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अस्थायी सदस्यता देने की वर्तमान प्रणाली में ढील दी जा सकती है। अव्यस्क के मामले में अस्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
12.	विशेष अस्थाई सदस्यता
	आवेदक, पित /पत्नी और बच्चों (21 वर्ष से काम आयु वर्ग के बच्चे) के लिए एक वर्ष के लिए एक बारगी अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, पिरसर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले केवल केंद्र सरकार के अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के पात्र हैं, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है। बैंक, सार्वजिनक क्षेत्र और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
13.	मानद सदस्यता भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य और दि. वि. प्रा. के अभियंता सदस्य मानद सदस्य होंगे।
14.	विशेष मानद सदस्यता
	यह खेल प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं या दिल्ली में रहने वाले असाधारण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, विशेष मानद सदस्य को प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य मासिक अंशदान लिया जाएगा।
15.	अतिथि सदस्यताः
	स्थायी सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं।
15.1	सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।
15.2	किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (ग्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)।
15.3	आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है।
16.	आकस्मिक सदस्यता (भूगतान करें और खेलें)
	आकस्मिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमित दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमित दी जाएगी।
16.1	स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।
17.	विधवाओं/विधुरों की सदस्यता:
	मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि विधवा/विधुर
	व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा।
18.	सदस्यता कार्ड
18.1	प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी।
18.2	यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे।
18.3	कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा।
18.4	यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है।

	कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा।
18.5	बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड
18.6	जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
	करना चाहिए।
19.	सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क
19.1	प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन
	पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।
	शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।
19.2	सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है।
19.3	केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली जल
19.4	बोर्ड के कर्मचारी और वे व्यक्ति जिनके वेतन और भत्ते समेकित निधि से भारत/राज्य से आहरित किये जाते हैं, उन्हें
10.5	सरकारी श्रेणी में माना जाएगा। सभी भुकतानों पर वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त रूप से लागू होगा।
19.5 20.	सदा मुक्ताना पर पस्तु एवं सवा कर जातारक्त रूप सं लागू हागा। सदस्यता का भुगतान
20.	(1) प्रत्येक तिमाही बिल जारी किए जाएंगे। सदस्यता की दर के अनुसार बकाया राशि खेल परिसर को चेक के
20.1	माध्यम से भेजी जा सकती है (दोपहर 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच, भोजन अवकाश दोपहर 1.00
	बजे से 1.30 बजे को छोड़ कर, (सभी कार्य दिवसों में)। सदस्यता का भुगतान क्रेडिट/डेबिट
	कार्ड/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है।
	(2) सदस्यता का भुगतान पहले से ही तिमाही, छह माह या पूरे वर्ष के लिए किया जा सकता है।
	(3) एक वर्ष से अधिक समय तक बिलों का भुगतान न करेने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी।देरी से किए गये
	भुगतान के लिए 500 रुपये का अधिभार लगाया जाएगा।
	(4) गलत पते या डाक् देरी के लिए व्यक्तियों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।
	व्यक्तियों से अनुरोध है कि सदस्यता की समाप्ति से बचने के लिए सदस्यता का भुगतान नियमित रूप से
	सुनिश्चित किया जाए। स्थायी सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से उनके बकाया के बारे में सूचित किया
	जाएगा। ८६० - निपर्टेन्से को अपनेता, पान में निपनित पने पान मेनिय को नामंग्रे निपनी नमें मेनिय कियो के पंजन
	(5) डिफॉल्टरों को आवेदन - पत्र में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा, और उस निर्धारित समय में भुगतान न
	करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना के जरिए भी नोटिस
	भेजे जाएंगे।
	(6) सदस्यता प्राप्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे मेल के पते, ईमेल, फोन नंबर आदि में किसी भी बदलाव
	के मामले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के साथ अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। ये विवरण ऑनलाइन भी
	अपडेट किए जा सकते हैं।
	(7) सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर की किसी भी सुविधा के उपयोग हेतु भुगतान
	राशि की रसीद प्राप्त करें।
20.2	सदस्य अन्य घंटो में भी मासिक अंशदान या चैक प्रशासनिक ब्लाक के बाहर रखे चैक बाक्स में डाल सकते
	है। चैक के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें :-
	1) सदस्य का नाम
	2) सदस्यता संख्या
	3) आश्रितों की संख्या
	4) भुगतान की अवधि
	5) ईमेल पता
	6) मोबाइल नम्बर
	चैक "सीएयू (खेल), डीडीए" के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखांकित होने चाहिए। बाहर के स्थानों के
	चैक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
	ऐसे चैकों की रसीदें स्वागत कक्ष में उपलब्ध होंगी।
20.3	चैक डाक/कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं। ऐसे चैको की रसीद भी स्वागत कक्ष में उपलब्ध होगी।
20.4	
21.	अंशदान से छूट
21.1	आश्रितों सहित अवैतनिक सदस्यों को कोई प्रवेश शुल्क अथवा मासिक अंशदान अथवा अन्य कोई उपयोग
	प्रभार अदा नहीं करना होगा।
21.2	इसी प्रकार दि.वि.प्रा. के खिलाड़ी और कर्मचारी, जो विभिन्न पदों पर खेल परिसरों में काम कर रहे हैं जब
21.2	तक वे खेल परिसर में कार्य करते रहेंगे तब तक उनकों स्वयं के लिए और उनके आश्रितों के लिए अंशदान
	का भुगतान करने से छूट है।

खेल परिसर के विकास कार्यों से जुड़े दि.वि.प्रा. के अभियंताओं, वास्तुकारों आदि से तब तक मासिक 3 अंशदान नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे खेल परिसरों के कार्य से जुड़े रहेंगे। तथापि उन्हें उनके आश्रितों के लिए सामान्य दर पर मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा। सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर आयुक्त (खेल) द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें पृथक-पृथक अनुमोदित किया जाएगा।

22. सदस्यता समाप्त करना :

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी:

- 1) सदस्य के अनुरोध पर।
- 2) 1 वर्ष अथवा उससे अधिक अविध के लिए खेल परिसर की देय राशि का भुगतान न करने पर। गलत पते की वजह से सदस्य के पत्र प्राप्त न होने और डाक संबंधी देरी के लिए प्रबन्ध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अंशदान का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें ताकि सदस्यता की समाप्ति को रोका जा सके।
- 3) दुराचार अथवा खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य अथवा खेल परिसर के नियमों और विनियमों तथ उप-विधियों का उल्लंघन करने अथवा यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वे सदस्य जिनकी सदस्यता इस कारण से रद्द की गई हो, उन्हें दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित नहीं दी जाएगी और इन सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रवेश से विवर्जित कर दिया जाएगा। यदि सदस्य के पास दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स की सदस्यता है तो वह स्वतः रद्द हो जाएगी। यदि इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया है तो सदस्यता को इस कारण से रद्द किया गया है अथवा खेल परिसर की सुविधाओं के उपयोग से अयोग्य/विवर्जित किया गया है वे भविष्य में किसी भी दि.वि.प्रा. खेल परिसर अथवा गोल्फ कोर्स में, अस्थायी और आकस्मिक (भुगतान करो और खेलो) सदस्यता सिहत, किसी भी प्रकार की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4) यदि सदस्य किसी दूसरे ऐसे देश का नागरिक हो तथा उस दूसरे देश और भारत के बीच युद्ध घोषित हो गया हो।
- 5) यदि उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार अथवा नैतिक अधमता के रूप में माने गये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
- 6) यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निर्णय में यह लिखा गया है कि सदस्यता जारी रहने से खेल परिसर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 7) सदस्यों को दि.वि.प्रा. खेल परिसर में किसी फोरम, एसोसिएशन का गठन करने या कोई मजदूर संघ कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में खेल प्रबन्ध बोर्ड या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
- 8) जिन सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया गया है उनके नाम खेल पिरसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 9) खेल परिसर की सुविधाओं का नियमित रूप से उपयोग न करने के लिए।
- 10) सदस्यता रद्द् होने पर प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 11) अंशदान के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि को सभी बकाये राशियों को समायोजित करने के बाद वापिस किया जाए।

23. देय राशियों का भुगतान नहीं करना

- 1) 1 वर्ष से अधिक के बिलों का भुगतान न करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देरी से भुगतान करने पर 500% रु. अधिभार वसूल किया जाएगा।
- 2) प्रबंधन, गलत पते की वजह से सदस्यों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न होने अथवा डाक संबंधी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अंशदान का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करें तािक सदस्यता समाप्त करने को रोका जा सके।
- 3) चूककर्त्ताओं को आवेदन फार्म में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर बकायों का भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाएगा, और ऐसा ना होने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
- 4) सदस्यता प्राप्त सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे डाक पते, ई-मेल, फोन नम्बर आदि में परिवर्तन के मामले में खेल परिसर के प्रबंधन में अपने प्रोफाइल को अद्यतन करें।

24. रद्द की गई सदस्यता बहाल करना :

सामान्यतः अपवाद स्परूप मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमित नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक ने दो वर्षों की अविध के अंदर आवेदन किया हो और आयुक्त (खेल) /िनदेशक (खेल) उस आवेदन से संतुष्ट हो तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अविध सिहत आज तक की बकाया राशि के साथ-साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुक्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा।

बहाली प्रभार, सदस्यता रद्द होने की तिथि को सदस्यता श्रेणी की स्थिति पर आधारित होगा, अर्थात् यदि सदस्य विरष्ठ नागरिक हो जाने के पश्चात् चूक करता है तो केवल तभी बहाली प्रभार विरष्ठ नागरिकों के लिए यथा लागू प्रवेश शुल्क/मासिक अंशदान पर आधारित होगा।

सदस्यता बहाली के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-

- 1) जिन परिसरों में सदस्यता खुली हैं, वहाँ चूककर्ता सदस्यों की सदस्यता को निर्धारित बहाली प्रभार के भुगतान और बकाया देय की वसूली के पश्चात् बहाल किया जाएगा।
- 2) जिन खेल परिसरों में सदस्यता बंद हैं, वहाँ सदस्यता रद्द होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् चूककर्त्ता सदस्यों की सदस्यता को बहाल नहीं किया जाएगा।

यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा-

24.1

- 1) सदस्य के अनुरोध पर।
- 2) दुराचार या खेल-परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल-परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप-विधियों का उल्लंघन किया गया हो।
- 3) यदि किसी सदस्य ने प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दुराचार या नैतिक अधमता के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो।

जिस अविध के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अविध की अनुपस्थित सदस्यता अविध (प्रभावित अविध) सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास-स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

24.2

25. **अस्वीकृत चैक :**

सदस्यों के चैक "चैक काटने वाले को वापिस" "धनराशि उपलब्ध नहीं है" और "सदस्य द्वारा भुगतान रोकने" अथवा अन्य किसी कारण से चैक अस्वीकृत हो जाने पर सदस्य को तत्काल जीएसटी सिहत 200 रु. की जुर्माना राशि के साथ देय राशि का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। नियमों में दी गयी निर्धारित अविध के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

26. सदस्यों को नोटिस

जिन मामलों में किसी भी नियम के अन्तर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्ते कि अन्यथा व्यवस्था न हो। सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस बेजा जाएगा जिसमें डाक/ई-मेल द्वारा नोटिस भेजे जाने की सूचना दी जाएगी।

27 नियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना :

प्रबन्ध बोर्ड को, नियमों और उप-विधियों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्यता को आस्थगित करने/ समाप्त करने के लिए और परिसर का उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

28. **सदस्यों का आचरण** :

यदि परिसर के सचिव की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।

29. अनुपस्थित - बाह्य सदस्यता :

29.1 ऐसे सदस्य जिन्हें दिल्ली/देश से अस्थायी रुप से लगातार न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हों, वे अनुपस्थित (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रुप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थित (बाहर जाने) सदस्यता, कार्ड

	जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।
	सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि यदि आश्रित व्यक्ति
29.2	अध्ययन आदि के लिए नगर/देश के बाहर ठहरे हुए हो तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर
	नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रुप में पृथक से अनुमित दी जा सकती है।
	किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का
29.3	कारण नहीं माना जाएगा।
	उप नगरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गाँव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।
29.4	अनुपस्थित सदस्यता के लिए मासिक अंशदान खेल परिसर के नोटस बोर्ड और स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित
	किया जाता है और दि.वि.प्रा. वेबसाइट <u>www.dda.org.in</u> पर डाला जाता है साथ ही अनुपस्थित सदस्य को
29.5	एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचना भी दी जाती है।
29.5	एसएमएस और इ-मरा के माध्यम सं सूचना मा दा जाता है।
	अनुपस्थित/बाह्य सदस्यता किसी भी सदस्य को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी
	चाहे वह इस अवधि को सतत अवधि में या एक से अधिक भागों में संचयी रुप में प्राप्त करें।
	अनुपस्थित (बाह्य) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। यह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य
20.6	औपचारिकता पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।
29.6	
29.7	
30.	सरकार/मन्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग ।
30.	परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों को एक माह की अवधि हेतु बैच
	बुकिंग आधार पर अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक खेल विधा के लिए प्रति घण्टा प्रति माह हेतु
	समय-समय पर यथा निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर बास्कट्रेबाल, टेबल-ट्रेनिस, बैडमिंटन, स्कवैश आदि
	खेलों के लिए यह लागू है। यह अनुमति मैदानों/कोर्टो/टेबल की उपलब्धता की शर्त पर प्रदान की जाएगी।
31.	नियमों एवं उप-विधियों की प्रतियों
31.1	खेल परिसर के नियमों और उप विधियों की एक प्रति परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है और
	साथ ही <u>www.dda.org.in</u> वेबसाइट पर भी दी गई है। नियमों और उप-विधियों की मुद्रित प्रति निर्धारित
	प्रभारों के भुगतान पर सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। नियमों और उपविधियों की सॉफ्ट कॉपी सभी
	सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी और उन्हें एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी कि इसे ई-मेल
	से भेज दिया गया।
	" · · · · · · · · · · · ·
31.2	परिसर की सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परिसर के नियमों, विनियमों और उपविधियों की पालना
	करनी होगी।
32.	खेल सुविधाओं का ग़ैर सदस्य छात्रों द्वारा उपयोग
	स्कूली छात्रों को निर्धारित दरों पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खेल परिसर की सुविधाओं का
	उपयोग करने के लिए मासिक पास जारी किए जाएंगे। स्कूली छात्र भी उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते
	हैं जिसके लिए सदस्यों द्वारा देय दरों का 50% उपयोगकर्त्ती प्रभार के रुप में भुगतान किया जाएगा।
33.	कोचिंग
	कुछ खेलों के लिए परिसर में कोचिंग उपलब्ध है। परिसर योग्य कोचों की सेवाएं प्रदान कराता है। कोचिंग
	क्लास और फीस का विवरण खेल परिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
	परिसर के कोचों के अतिरिक्त, सदस्यों, अतिथियों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर में किसी अन्य निजी
33.1	
	कोचिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिसर के प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखेबाजी अथवा किसी
	कदा्चार हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे सदस्य/व्यक्ति को पूरिसर से विवर्जित
	करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
22.2	यदि कोई व्यक्ति अनिधकृत निजी कोचिंग में संलिप्त पाया जाता है तो परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे
33.2	सदस्य/व्यक्ति को परिसर से विवर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरूद्ध
	अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
	खेल परिसर में सदस्यों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समूह में कोचिंग गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं
22.2	
33.3	है।

33.4	यथा लागू विलंब शुल्क प्रतिदिन के लिए देय होगा लेकिन अधिक-से-अधिक मासिक कोचिंग प्रभार का 50% देय होगा।
34.	समय: खेल परिसर के खुलने और बंद होने का समय और उसमें प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा प्रबंधन मंडल के आदेश के अनुसार होगी। सामान्यतः, गर्मी में समय सुबह 6.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक होगा। सर्दी में, खेल परिसर सुबह 6.30 बजे खुलेगा और सदस्य शाम 8.30 बजे तक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। खेल सुविधाओं के लिए परिसर सोमवार को बंद रहेगा। प्रबंधन मंडल कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।
35.	किसी हानि/चोट/क्षित के लिए मुआवजा: "सदस्यों उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, चोट अथवा क्षित न पहुंचे। दि.वि.प्रा. और/अथवा खेल परिसर का प्रबंधन किसी सदस्य, उसके आश्रितों अथवा खेल परिसर में लाए गए किसी अन्य व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट, हानि अथवा क्षित के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दि.वि.प्रा. और प्रबन्ध मण्डल किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वरा दि.वि.प्रा. और उसके प्रबंध-मण्डल को होने वाली क्षिति की भरपाई की जाएगी।"
36.	खेल सुविधाओं के बाधित होने पर शुल्क वापसी: बिजली की आपूर्ति रुक जाने, खराब मौसम, वर्षा अथवा प्रबंधन के नियन्त्रण से बाहर किसी अन्य कारण के लिए राशि एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से वापिस की जाएगी या भविष्य में समायोजित की जाएगी। टिप्पणी:- 1. यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारें में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य का कोई दावा नहीं होगा। 2. मासिक अंशदान के बिल को ई-मेल द्वारा प्रत्येक तिमाही भेजा जाएगा। सदस्यों को एसएमएस भी भेजा जाएगा कि बिल ई-मेल द्वारा भेज दिया गया है। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे अन्तिम तिथि या

उसके पूर्व बकायों का भुगतान कर देँ। देरी से भुगतान के लिए 500 रु. अधिभार वसूला जाएगा।

3. खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिचारक को सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जांच कर सकते हैं।

परिसर की उप-विधि

1.	परिभाषाः-
1.	इस 'उप-विधि' में प्रयोग किए गए 'सदस्य' शब्द में व्यक्तिगत, निगमित, अस्थायी, विशेष अस्थायी, आकस्मिक,
	मानद, विशेष मानद, एसोसिएट, अनिवासी भारतीय, वरिष्ठ नागरिक सदस्यता अवधि, वार्षिक और छात्र
	सदस्यता शामिल है।
2.	कार्य दिवस और समय:-
	परिसर सोमवार जो कि खेल-सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है और प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समय-समय पर यथा
	निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों (अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) और
	दीपवली,होली एवं दशहरा (अपराह्न 2.00 बजे के बाद) को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा।
	परिसर सामान्यतः सर्दियों में अर्थात् 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक और
	गर्मियों में अर्थात 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहेगा।
3.	विभिन्न खेलों/ गतिविधियों के लिए समय प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होगा। इसे समय-समय पर अधिसूचित
	किया जाएगा।
4.	परिसर के प्रशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाश दिवसों को
	बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजे से 1.30
	बजे तक भुगतान अवकाश को छोड़कर) स्वीकार किया जाएगा।
5.	प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमित नहीं होगी और
	इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन
	निर्धारित कर सकता है।
6.	परिसर के कर्मचारी:
	सदस्य, उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति परिसर के किसी कर्मचारी के साथ गाली-गलौच नहीं करेंगे और
	किसी भी स्टाफ-सदस्य के साथ किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं करेंगे। परिसर के किसी भी कर्मचारी द्वारा
	सदस्य के विरूद्ध दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसी/अगले कार्य दिवस को सचिव को लिखित में मामले की
	रिपोर्ट की जाएगी और शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। सचिव या तो स्वयं मामले की जांच कर
_	सकते हैं।
7.	किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी को निरूद्देश्य, व्यक्तिगत कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से कहीं भी भेजा नहीं जाएगा।
8.	कर्मचारी को इनाम देनाः-
0.	कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को इनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा। कर्मचारी/परिसर के
	वर्गर् भा तर्प नारपार वर्गावरपा पा वर्गावारा वर्ग र नाम वर्ग पान वर्गा वर्गा वर्गावारा, नारपार वर्ग कर्मचारी इनाम नहीं मागेंगे/लेंगे।
9.	पौधो, पौध और लघु पौधों की आपूर्तिः
	पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमति नहीं है। सदस्य माली अथवा किसी कर्मचारी को ऐसा करने के
	लिए नहीं कहेंगे। मालियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है।
10.	वस्तुओं/सामग्री की बिक्रीः
	खेल परिसर में अधिकृत दुकान से भिन्न किसी अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बेचने पर कड़ी
	पाबंदी है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
11.	क्षति एवं टूट-फूटः
	यदि सुविधाओँ का उपयोग करने के दौरान सदस्यों, उनके अतिथियों आश्रितों अथवा उनके नौकरों द्वारा
	परिसर की किसी भी सम्पत्ति की क्षिति होती है तो उनसे सभी क्षिति की पूरी कीमत वसूली जाएगी। तथापि,
	प्रबन्ध-मण्डल की राय में, किसी सम्पत्ति को जानबूझ कर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस क्षतिग्रस्त संपत्ति की
	राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, प्रबन्धन परिसर् संपत्ति का
	जानबूझ कर नुकसान करने वाले सदस्यों की सदस्यता को सस्पेंड्/सदस्यता समाप्त कर सकता है। यदि गैर-
	सदस्य इस प्रकार की गृतिविधि करते हैं तो क्षतिग्रस्त संपत्ति की राशि का भुगतान करने के अलावा, खेल
	परिसर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा।
12.	सुझाव या शिकायतेः
	यदि कोई सुझाव या शिकायत हो, तो इस उद्देश्य के लिए रखी गई सुझाव/शिकायत-पुस्तिका में उसे दर्ज किया
	जा सकता है, जिसे किसी भी सदस्य द्वारा रिसेपशन से प्राप्त किया जा सकता है। सुझाव/शिकायत को सचिव
	और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा देखा जाता है और तद्नुसार निपटाया जाता है। शिकायतों को मोबाइल ऐप

"Smartcity311" के माध्यम से ऑनलाइन भी रजिस्टर किया जा सकता है। तथापि, पित-पत्नी और बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमित नहीं है। यह स्वय द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। 13. परिसर का सामान :	
द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।	सदस्य
। १२ । प्रतिस्थतं त्रहा स्थापानः	
	>: O
किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियाँ जैसे फर्नीचर,	क्रीकरी
अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दी जाएंगी।	
14. पालतू जानवरः	
परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है। इस उप-विधि का उ	<i>उ</i> ल्लंघन
करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर निर्दिष्ट जुर्माना लगाया जाएगा।	
15. साईकिल/स्कूटरः	
परिसर के लॉन/कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक में साईकिल, स्कूटर और मोटर साईकिल चलाने की अनुमति नहीं है।	
15.1 जॉगिंग ट्रैक पर परैम्ब्यूलैटर्स का उपयोग करना संख्त मना है।	
16. नोटिस:	
किसी भी छपी सामग्री/सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले परिसर के सी	चेव को
अनुमोदन के लिए भेजना होगा। सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है। नो	
सामान्यतः एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा।	- (
17. भ्गतानः	
प्रबन्ध-मण्डल नकद में किए गए भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा	भगतान
सम्चित रसीद देकर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा न किया गया हो।	3 ···· I
18. वाहनों की पार्किंगः	
सदस्य अपने कार/स्कूटर/साईकिल/मोटर साईकिल आदि की पार्किंग केवल निर्धारित सतही पार्किंग	ਸ਼ਾਂਟ ਸ਼ਹ
ही करें। निर्धारित पार्किंग खंड से बाहर पार्किंग करने की अनुमति नहीं है।	30 40
19. 'नो पार्किंग एरिया' में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों/उनके आश्रितों व्यक्ति	गों को
जुर्माना अदा करना होगा।	191 971
20. खेल परिसर किसी वाहन के खाने अथवा वाहन के अंदर रखी किसी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु चाहे व	_ 2 ਗਟਤ
विशेष परिसर किसी पहिन के खोन अववा विहन के अदूर रखा किसी वस्तु अववा लगा हुई वस्तु वाह व के अन्दर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।	२ पारुग
21. खेल परिसर के अंदर साईकिल सहित वाहनों की पार्किंग पूर्णतः स्वामी के जीखिम पर है।	
22. परिसर में तेज गति से वाहन चलानाः	
परिसर में कारों/स्कूटरों/मोटर साईकिलों की गति 10 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। प	रेसर में
गति का अधिक होना और हॉर्न जोर से बजाना मना है।	VIIV -1
23. डैस नियम :	
्रवाग्यनः सदस्य परिसर में ड्रेस पहनने के संबंध में उचित मर्यादा का पालन करें। किसी भी विशेष खेल सुविधा क	य प्रभाग
करते हुए उपयुक्त खेल परिधान पहने जाए। किसी भी परिस्थिति में,किसी भी खेल सुविधा का उपयोग व	
लिए सलवार कमीज/कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, बनियान, चप्पल/बाधरूम स्लिपर्स, ड्रेसिंग गाउन इत	
पहनने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, जॉगिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए सलवार कमीज, कुर्ता पजाम	
और साड़ी पहनने की अनुमति होगी।	n, AICH
24. प्रत्येक खेल/गेम के लिए उप-विधि में निर्धारित उचित स्पोर्टस-किट पहननी होगी।	
INVICTION OF CHILD IN THE PERSON OF THE PERS	
वरा नारतर गण गाँच । जार जान नाटना कर । का जारुगात । लाल	
नारतर न तानाविक वानावित करने का विज्ञाति नहीं है।	
खल परिसर में किसी मा उत्सव की मनीन की संख्य मनीहा है।	
26. मद्यपान एवं धूम्रपानः	
26.1 कॉम्पलैक्स के परिसर में शराब या अन्य नशीली वस्तुओं या धुम्रपान का सेवन करते हुए पाए ज	
सदस्यों/गैर-सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी/उनकों खेल परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया ज	ग्राएगा।
27. शूटिंग/फोटोग्राफी	_
कॉमर्शियल फिल्में/विज्ञापनों के लिए निर्दिष्ट प्रतिदिन शुल्क के साथ वापसी योग्य प्रतिभूति जमा र	शि का

भगतान अग्रिम राशि के रूप में किया जाए।

28. अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बनः

आयुक्त (खेल) को खेल परिसर में अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्य और आश्रित की सदस्यता को निलम्बित करने का अधिकार है, जिसमें खेल परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना शामिल है। गैर सदस्यों द्वारा ऐसा आचरण करने पर उनका परिसर में प्रवेश करना वर्जित होगा। सदस्यता के निलम्बन पर निम्न कार्यवाही की जाएगी:

- 1) निलम्बित सदस्य को सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा।
- 2) उसे सदस्यता कार्ड वापिस करना होगा।
- 3) जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- 4) जांच के पश्चात् यदि सदस्य निर्दोष सिद्ध होता है, तो उसे बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

29. परिसर में हथियार और गोला-बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है।

30. विदेशी नागरिकों की पहचान

ड्यूटी-कर्मी खेल परिसर में खेल सुविधाओँ का उपयोग करने वाले विदेशी नागरिकों से निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करें :-

- 1) पासपोर्ट और वीजा।
- 2) उन संस्थानों/संगठनों से पत्र, जहाँ विदेशी नागरिक कार्यरत हो।
- कोई भी अन्य दस्तावेज, जो दिल्ली में उस विदेशी नागरिक के कानूनी रुप से उसके निवास की पुष्टि करता है।

टेनिस

 टेनिस के लिए क्ले-कोर्ट एवं सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट उपलब्ध होगा। घंटो के आधार पर निर्धारित प्रभारों के अनुसार सदम्भातान करो और खेलो आधार पर सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट व सदस्य/अश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गये रा आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे होगा। खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधा से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। क्ले कोर्ट पर खेल की अविध आधे घण्टे होगी अथवा एक से अविध होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। तैयारी (वार्मिंग अप) : तैयारी (वार्मिंग अप) की अविध 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा 'मेड अप ए खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट ब्रेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट ब्रेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट ब्रेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट ब्रेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों के लिए सर्क्स, शॉर्ट ट्रेक सुट पहनने की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जारे धूम्रपान करना मना है। के स्वात समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सुट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी। कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। के स्वात कर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मीयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट भुगतान करो और खेलो सुविधा है लाइट में खेले के लिए निर्पारत प्रभार का भुगतान व . बुकें राशिक के लेंट 'भुगतान करो और खेलो सुविधा है लाइट में खेले के लिए निर्पारत प्रभार का भुगतान व . बुकें राशिक के अंदर लाने वाली ब्रॉलेंट केन खेला की सामग्री, नहीं होगी। कोर के अंदर लाने वाली ब्रॉलेंट कन सुलि शाने के बात कर सकते के सम्प्री, नहीं होगी। कोर के अंदर लाने वाली बेंट कन सुलि शाने का सामग्री पर के लिए के बेंद साम	
भुगतान 'करो और खेलो' आधार पर सिन्थेटिक सरफेंस कोर्ट व सदस्य/अश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गये रो आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे ज खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधा से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। 4. अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से स को बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैत अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स :- सिंगल्स :- सिंगल्स :- सिंगल्स की खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प इस्मान कोर्ट खेत में धूप्रपान करना मना है। 5. खेलते के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार प्रमुपान कोर्ट क्षेत्र में धूप्रपान करना मना है। 11. केरिया विधीरित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर स्विंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रेक्टिस वर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट को से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्य अपराह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्य अपराह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्य अपराह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्य अपराह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्य अपराह 12 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कीरा को सुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निधीरित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राश्चा का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अं 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लिन वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइन्ड कैन खुली होनी चाहिए	ध हैं। क्ले कोर्ट के लिए कोई भुगतान नहीं करना
 2. संदस्य/आश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गये रं आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे ज खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधा से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। 4. अस्थायी/आकस्सिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैत अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स :- सिंगल्स :- सिंगल्स की खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्लॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रपान कोर्ट असे में धूम्रपान करना मना है। 9. बॉल-ब्लॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रपान कोर्ट असे में धूम्रपान करना मना है। 11. केचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) प्रविद्ध 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट (भूगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निधीरित प्रभार का भुगतान वर अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट कोर्ट कीर (भूगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निधीरित प्रभार का भुगतान वर विन पहले और अकिस्सक सदस्य एक दिन पहले औ कोर्ट के अंदर लिनी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लिनी वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइन्ड कैन खुली होनी चाहिए 	दस्यों, अतिथियों और आकस्मिक सदस्यों द्वारा
 आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे ज खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधा से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंत अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। तैयारी (वार्मिंग अप): तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स : सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप पर्वित्य की के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्वॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। कोर्ट के सेत्र में धूम्रपान करना मना है। कोर्ट के सुट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रेक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाइ 6 बजे से पूर्वाइ 10 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट अप बढ़ फरवरी) पूर्वाइ 6 उज बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और अकिर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइन्ड कैन खुली होनी चाहिए 	र्ट का प्रयोग किया जायेगा।
3. खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधा से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। 4. अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैं अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप पर विचेत्र के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्बॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार पूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 10. धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रेस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी। 12. कोर्चिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंधेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाइ 6 बजे से पूर्वाइ 10 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6 वजे बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6 वजे बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6 वजे बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6 वजे बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6 वजे बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सर्देश के के उत्तर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। बाल वाली प्रेशराइन्ड कैन खुली होनी चाहिए	रजिस्टर में अपना नाम एवं सदस्यता संख्या और
से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। 4. अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंत अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प्र खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रणन कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। ईस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए सक्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दयों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध हें प्रेक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाइ 6 बजे से पूर्वाइ 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 किए निर्वाइ) से खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करो और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करो और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के उत्तर लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करे के खुलों होनी चाहिए वें के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइन्ड केन खुली होनी चाहिए	जाने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक वे होगा। 4. अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंत अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प्र खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रणन कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। ईस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए सक्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दयों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध हें प्रेक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाइ 6 बजे से पूर्वाइ 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 किए निर्वाइ) से खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करो और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करो और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के उत्तर लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान 2. बुकिंग राशि का भुगतान करे के खुलों होनी चाहिए वें के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइन्ड केन खुली होनी चाहिए	धार पर होगी। तथापि, सदस्यों को प्रातः 6.00 बजे
 अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सको बुक कर सकते हैं। वले कोर्ट पर खेल की अविध आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंठ अविध होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमित नहीं होगी। तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अविध 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सेंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप पर लेंगिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट वॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जारें धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। कृति खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कृति खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कृति खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कृति खेलते छेट उपलब्ध रहेगा। ग्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6 वजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा विधेटिक कोर्ट "भुगतान करों और खेलों" सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइच्ड कैन खुली होनी चाहिए 	
को बुक कर सकते हैं। 5. क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंव अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमित नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार होती के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार होती के लिए स्वर्ट्स, शॉर्ट है स्व्राचन कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. हैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्वर्ट्स, शॉर्ट हैक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। 12. कोर्चिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. ग्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक ग्रैक्टिस वाल ग्रैक्टिस के लिए उपलब्ध ग्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य ग्रैक्टिस के लिए प्रतिसीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्देयों को लेक सरवर्य एक विन पहले औ तो कोरिया के स्वर्वाह विल्व के लेक सरव्य एक विन पहले औ तो होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एवं चाली होगी।	
 वले कोर्ट पर खेल की अविध आधे घण्टे होगी अथवा एक सैंत अविध होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमित नहीं होगी। तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अविध 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स :- सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार पूमपान कार्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। इस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रेक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। ग्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए प्रतिसा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सियेटिक कोर्ट मिंग के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान वर सियेटिक कोर्ट 1. सिथेटिक कोर्ट 'मुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान वर वुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉल रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए 	सांय 6.00 बजे तक और रात्रि 8.00 बजे से कोर्ट
अविध होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भी से अधिक खेलने की अनुमित नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अविध 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प 8. प्लेपिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार 10. धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। ईस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सुट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. ग्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए प्रतिसीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पर्विह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट प्रविह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंयेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और जोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
से अधिक खेलने की अनुमित नहीं होगी। 6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प्र 8. प्लेचिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्बॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार 10. धूम्रपान कोट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. ग्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 2. बुकिंग राशि का भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	सैट होगी, इनमें से जो भी पहले खत्म होगी, वही
6. तैयारी (वार्मिंग अप) :- तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट 7. सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प 8. फ्तेंचिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्बॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार 10. धूम्रपान कोट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. ग्रैक्टिस वाल आधे कोट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्वाहण में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान वर्त और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान वर्त और खेलों स्वाहण से स्वर्व के बेस वाले एवं चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	भीड़ होने पर केवल एक छोटे सैट अर्थात 11 गेम
तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट सिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प हे प्लेचिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्बॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार 10. धूम्रपान कोट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर संथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. ग्रेक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (वेधिटेक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
 तिंगल्स :- सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प्रतियेग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्बॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। इैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। ग्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतिसीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) इंसेटिक कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट भुगतान करो और खेलो सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए 	
सिंगत्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप प्र खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार 10. धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 2 से खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और अकिस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	ाट के खेलने के समय में ही शामिल होगी।
8. प्लेचिंग गिअर :- खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट 9. बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जारें पूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर हिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यिद अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्म 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्म 15.	
खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार इस्मान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। इस्मान खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कोर्विंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। औक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत्तिमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाइ 6 बजे से पूर्वाइ 10 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सिंथों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाइ 6.30 बजे से पूर्वाइ 11 बजे तक एवं अपराइ 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट भुगतान करो और खेलों सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ओ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	ग फोर" प्रतीक्षा न कर रहा हो।
 बॉल-ब्वॉय की अनुमित नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जार पूप्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूप्रपान करना मना है। इस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (मिहलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सिर्दियों में होगी। कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह 6 बजे से पूर्वाह 10 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अपरा सिर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह 6.30 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक एवं अपराह 3 बजे से अ सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और जोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए 	
10. धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कीचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे सर्वाह्म 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे से अपरा स्वाह्म 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे से अपरा सरक्य प्रा के स्वाह्म 3 बजे से अपरा सरके 3 बजे स्वाह्म 3 विक्र 3 विक्र 3 विक्र 3 विक्र 3 विक्म 3 विक्र 3 विक्र 3 विक्र 3 विक्म 3 विक्र 3 व	·
कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है। 11. ड्रैस खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्वा वेश से अपरा को से अपरा को से अपरा को से अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्वा वेश से अपराह्म के कोर्ट के कोर्ट किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एवं चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	ायेगा।
चिलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (2 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (3 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (3 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (3 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (3 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (3 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्म 6.30 बजे से पूर्वाह्म 11 बजे तक एवं अपराह्म 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्म 6.30 बजे से पूर्वाह्म 11 बजे तक एवं अपराह्म 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 बजे से अपरा सर्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 बजे से अपरा स्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 बजे से अपरा स्वाह्म 3 बजे से अपरा स्वाह्म 3 बजे से अपरा सरकर स्वाह्म 3 विक्र सरकर स्वाह्म 3 विक्र सरकर स्व	
खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्ट ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अं 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
ट्रैक सूट पहनने की अनुमित केवल सर्दियों में होगी। 12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्वाह्म के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	46 2 20
12. कोचिंग निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रेक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रति सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पार्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सिंथेटिक कोर्ट (भुगतान करो और खेलो) सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले औ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	र्टिस और लेगिंग्स) तथा टेनिस जूते पहनने होंगे।
निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट भुगतान करो और खेलो सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। 13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ओ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	
13. प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रत सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	र का सवाएं उपलब्ध हागा। काचिंग के लिए एक
आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ओ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	
प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रर्त सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	
सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। 14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	
14. समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	विक्षि। कर रह ह ता बाल का उपयाग करने का
गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपरा सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले और कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	
सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी) पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	गट ० बजे नक।
पूर्वाह्न 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अ 15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए	राह्न ५ वर्ण (पर)।
15. सिंथेटिक कोर्ट 1. सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	थाग्रह ९ २० बजे तक।
 सिंथेटिक कोर्ट 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा है लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अ कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए 	गंवराक्ष ४.५० वर्ण रावरा
लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान व 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ऑ 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	है। दिन के प्रकाश (डेलाइट समय) और प्रलंड
 बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ऑ कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए 	
दिन पहले और आंकस्मिक सदस्य एक दिन पहले अं 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
 कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, नहीं होगी। कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक चाहिए। बाल वाली प्रेशराइण्ड कैन खुली होनी चाहिए 	
नहीं होगी। 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	
4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एव चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	,,, x . x x
चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए	क कैन में अथवा एक कार्ड-बोर्ड बाक्स में होनी
। 5. काट के अंदर लंकडा अथवा एल्यामानयम बस वाला	ी कुर्सियों/मेजों की अनुमति नहीं होगी।
	ऑनलाइन कोर्ट बकु कर सकते हैं। ो, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की अनुमति एक कैन में अथवा एक कार्ड-बोर्ड बाक्स में होनी ए और इसे कोर्ट के बाहर छोड़ना चाहिए।

- 6. कोर्ट में केवल नॉन मार्किंग शूज पहनने की अनुमित होगी।
 7. टेनिस कोर्ट में म्यूजिक प्ले करने की अनुमित नहीं है।
 8. परिसर प्रबंधन की अनुमित के बिना टेनिस एरिना में या उसके आसपास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमित नहीं है।
 9. कोर्ट में उचित शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखें।

टेबल टेनिस

1.	सदस्यों एवं उनके आश्रितों द्वारा निर्धारित समयाविधयों में सुविधाओं का उपभोग किया जा सकता है। अतिथि
	एवं अनियत सदस्य भी निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान के पश्चात् सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं।
2.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं उन्हें अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में
	अपना नाम एवं सदस्यता संख्या दर्ज करनी होगी।
3.	परिसर कर्मचारी के मांगने पर सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4.	खेलने की प्राथमिकता- "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर खेलने की अनुमति है। परिचारक टेबल
	के समुचित उपयोग की निगरानी रखेंगे। भीड़ होने की स्थिति में 'सिंगल' खेलने की अनुमति नहीं होगी, तब
	केवल 'डबल्स' खेलने की अनुमति होगी।
5.	खेलने की अवधि - खेलने की अनुमति 20 मिनट अथवा एक बाजी तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रदान की
	जाएगी। वार्मअप का समय अधिकतम ३ मिनट का होगा जो कि २० मिनट में ही शामिल माना जाएगा।
6.	खेलने के उपकरण- खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्वयं का टेबल टेनिस बैट और बॉल लानी होगी।
7.	परिधान-निकर (शॉर्टस)/ ट्रैक लोअर। खेलने के दौरान टी-शर्ट एवं खेलने वाले जूते पहनने की अनुमति है।
8.	धूम्रपान -टेबल टेनिस हॉल के अंदर धूम्रपान करना सख्त मना है।
9.	समुचित व्यवहार का पालन निम्नानुसार किया जाएगा:-
	1) जब टेबल का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, सभी लाइट ऑफ करें।
	2) शांति बनाए रखें।
	3) खेल/समय खुत्म होने पर टेबल खाली कर दें।
	4) परिधान संबंधी विनियमों का अनुपालन करें।
	5) अपने नाम और सदस्य संख्या के साथ अपने आने का समय दर्ज करें।
	दीवारों के सहारे खड़ें न हों, वहाँ रखी गई कुर्सियों पर बैठें।
10.	समयावधिः-
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधि (1 मार्च से 30 नवम्बर) :</u>
	प्रातः ६.०० बजे से रात्रि ९.०० बजे तक।
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक।

<u>आउटडोर बैडमिंटन</u>

1.	परिसर समयाविध के अनुसार बैडिमंटन कोर्ट पर सदस्य और उनके आश्रित खेल सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार दिन का भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर सकते
	हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और सायं 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक
	कोर्ट के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में
	अपना नाम, सद्स्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा। परिसर कर्मचारी को सदस्यता
	कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4.	खेलने की प्राथमिकता – यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक आगमन पंजिका पर
	आगमन क्रम के अनुसार कोर्ट आवंटित करेगा।
	1) कोर्ट संख्या १ और २ — सदस्यों के लिए।
	2) कोर्ट संख्या ३ - आश्रितों के लिए।
5.	खेलने की अवधि –40 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। वार्मिंग अप के लिए 3 मिनट का
	समय दिया जाएगा। यह खेल की अवधि के 40 मिनट में ही शामिल माना जाएगा।
6.	जब कोई "डबल्स" प्रतीक्षारत नहीं होगा तभी "सिंगल्स" खेला जाएगा।
7.	खेल उपकरण (स्पोर्टस गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का रैकेट एवं शटल कॉक्स लाना होगा।
8.	ड्रैस – निकर (शॉर्टस) अथवा ट्रैक लोअर के साथ ही टी-शर्ट एवं स्पोर्टस जूते पहनने की अनुमति होगी।
9.	समयाविधः
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :</u>
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक।
	शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक।
10.	आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है।
11.	परिसर प्रबंधन की अनुमित के बिना आउटडोर बैडिमिंटन एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर
	विज्ञापन/बैनरों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
12.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन किया जाना अपेक्षित है।
13.	कोर्ट के अंदर खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि की अनुमति नहीं है।

<u>स्कॉश</u>

1.	परिसर समयावधि के अनुसार सदस्य और उनके आश्रित कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि सदस्य निर्धारित दरों के अनुसार दिन का भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर
	सकते हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे
	तक के बीच कोर्ट के उपयोग में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में अपना
	नाम, सदस्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा।
4.	परिसर कर्मचारी को सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
5.	खेलने की प्राथमिकता:- यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक कोर्ट आबंटित
	करेगा।
6.	खेलने की अवधि:- 30 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। नोकिंग/वार्मिंग अप के लिए 3
	मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, जो कि खेलने की 30 मिनट की अवधि में ही शामिल होगा।
7.	आरक्षित कोर्टः -व्यक्तिगत सदस्यता वालों के लिए कोर्ट नं.1 और कोर्ट नं.2 क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः
	8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आरक्षित रहेंगे।
8.	खेल उपकरण (स्पोर्टस गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का स्कवॉश रैकेट एवं बॉल लानी होगी।
9.	ड्रैस – खेलने के लिए निकर (शॉर्टस)/टी-शर्ट एवं खेलने वाले जूते पहनने की अनुमति होगी। वार्मिंग अप के
	लिए ट्रैक सूट पहन सकते हैं। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी।
10.	सदस्यों को कोर्ट में जाने से पहले अपने जूते साफ करने होंगे।
11.	धूम्रपान- कोर्ट अथवा दर्शक-दीर्घा में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
12.	समयावधि :
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :</u>
	प्रातः ६.०० बजे से रात्रि ९.०० बजे तक।
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक।
13.	स्कॉश कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
14.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना स्क्वॉश एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर विज्ञापन/बैनरों को
	प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।
15.	खेल-प्रतियोगिता के दौरान दर्शक-दीर्घा में अधिकतम 25 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।
16.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अपेक्षित है।
17.	कोर्ट के अंदर खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि की अनुमति नहीं है।

<u>ताइक्वान्डो</u>

1.	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सदस्य, उनके आश्रित सदस्य और गैर सदस्य ताइक्वांडो/कराटे की कक्षा में शामिल हो						
	सकते हैं।						
2.	ताइक्वांडो की कक्षा प्रत्येक मंगलवार से रविवार को शाम 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक (शीतकाल में) एवं शाम 5.30						
	बजे से रात्रि 8.30 बजे (ग्रीष्मकाल में) तक आयोजित की जाएंगी।						
3.	खिलाड़ियों/प्रतिभागियों को खेल के आरंभ होने से 10 मिनट पहले ही प्रैक्टिस एरिया में उपस्थित होना चाहिए।						
4.	ड्रैस :						
	प्रतिभागियों को केवल ताइक्वांडो/कराटे की उचित यूनिफार्म में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।						
	स्वयं की यूनिफार्म खरीदना जरुरी है।						
	प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के जूतों की अनुमति नहीं होगी।						
5.	प्रतिभागियों के अंगुलियों/अंगूठों के नाखून सही ढंग से कटे होने चाहिए।						
6.	प्रैक्टिस एरिया में प्रतिभागियों के अतिरिक्त किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। दर्शक एरिना के बाहर से						
	देख सकते हैं।						
7.	धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।						
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा। कोच/प्रभारी को प्रैक्टिस को रोकने अथवा किसी खिलाड़ी						
	को दुर्व्यवहार अथवा नियमों का पालन ना करने पर निष्काषित करने का अधिकार है।						
9.	प्रतिभागियों/अभिभावकों को परिसर के प्राधिकृत स्टाफ को निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और रसीद प्राप्त						
	करनी होगी। कोचिंग कक्षा में जाने के लिए यह रसीद प्रमाण होगी।						

<u>क्रिकेट</u>

1.	यहाँ क्रिकेट मैदान पर एक मुख्य पिच है, जो मैचों के लिए सदस्यों और प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मीं हेतु एक दिन (प्रातः 9.00						
	बजे से सायं 4.00) के लिए किराये पर उपलब्ध है। यह मुख्य पिच प्रैक्टिस हेतु उपलब्ध नहीं है।						
2.	ये उपनियम प्राथमिक रूप से क्रिकेट मैदान स्थित मुख्य पिच के लिए हैं।						
3.	ग्राउंड बुक करवाने संबंधी निर्धारित शुल्क ग्राउण्ड बुकिंग करते समय "केन्द्रीय लेखा इकाई (खेल), दि.वि.प्रा." के पक्ष						
	में बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किया जॉना है। भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/आर.टी.जी.एस. /एनईएफटी/						
	नेट्-बैंकिंग द्वारां भी किया जा सकता है। यदि खराब मौसम अथवा अन्य किसी कारण से खेल संभव नहीं हो पाता है तो						
	राशि वापस कर दी जाएगी।						
4.	बुकिंग अग्रिम रूप से करवानी पड़ती है एवं बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा बैंक अंतरण द्वारा ही हायर						
	करने संबंधी शुल्क का भुगतान करना होता है।						
5.	हालांकि, मैच से 2 दिन पहले बुकिंग की पुनः पुष्टि करनी होती है। मैदान को किराये पर देने का अधिकार प्रबंधन के						
	पास सुरक्षित है।						
6.	निम्नलिखित को उपलब्ध करवाया जाएगाः						
	1) पिच रोलर						
	2) लाइन के साथ सीमा रेखा (बाउंड्री) की मार्किंग						
	3) स्कोर बोर्ड						
7.	क्रिकेट मैदन पर बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है।						
8.	परिसर में खाना बनाने/गर्म करने की अनुमति नहीं है।						
9.	धूम्रपान की अनुमृति नहीं है।						
10.	मादक पेय पदार्थों का सेवन सख्त निषेध है।						
11.	खेलते समय उचित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।						
12.	खेल उपकरण/सामग्री – टीम को अपने स्वयं के खेल उपकरण। सामान लाने होंगे।						
13.	बैनर/विज्ञापन – जब तक लिखित रुप में विशिष्ट अनुमति नहीं ली जाती है तब तक बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने की						
	अनुमति नहीं है।						
14.	परिसर् प्रबंधन की अनुमति के साथ आवश्यक शुल्क देकर 15x15 फीट के टेंट को मैदान की सीमा पर बल्लियों, रस्सों						
	आदि से व्यवस्थित किया जा सकता है।						
15.	मैदान पर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है।						
16.	परिसर में बाहर से खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्डड्रिंक्स, इत्यादि नहीं लाए जाएंगे। ये सभी परिसर कैफेटेरिया से						
	खरीदे जा सकते हैं।						
17.	मैदान पुर संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। हालांकि कम आवाज पर केवल कॉमेंट्री हेतु माइक का प्रयोग किया जा						
	सकता है।						
18.	ईवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट मैदान बुक करने की अनुमति नहीं है।						
19.	क्रिकेट मैदान पर समुचित अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाए रखा जाए।						
20.	प्रबंधन के पास क्रिकेट मैदान की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए अल्प अवधि सूचना मात्र पर रद्द करने का भी						
	अधिकार है।						

क्रिकेट-अभ्यास पिच

1.	तीन टुर्फ और तीन सीमेन्टेड अभ्यास पिच उपलब्ध हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सदस्यों एवं विशिष्ट						
	क्लबों/फर्मों के उपयोग का समय निम्नानुसार है:-						
	सदस्यों के लिए-सदस्यों को सोमवार (अवकाश) और कोचिंग समय को छोड़कर सभी दिनों में अभ्यास के लिए सीमेंट						
	वाली पिच उपयोग करने की अनुमित है।						
	प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए- एक दिन के अभ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए प्रातः 9.00 से						
	सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश						
	अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बैंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इकाई (खेल), दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया						
	जाना है।						
2.	ऑनलाइन बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड						
	आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रुप से अधिकतम 30 दिन पहले की जा						
	सकती है।						
3.	तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए पर देने का अधिकार प्रबंधन						
	के पास सुरक्षित हैं।						
4.	अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यदि कोई						
	व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जाएगा।						
5.	अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे।						
	आवंटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हरित क्षेत्रों में जाने की						
	अनुमति नहीं है।						
6.	निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:-						
	1) रोल की हुई पिच						
	2) अभ्यास पिच के चारों और जाल,						
7.	किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी।						
8.	परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमति नहीं है। धूम्रपान और मदिरा पान पर सख्त रोक है।						
9.	ड्रेस ः अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी।						
10.	खेल उपकरण/साज समानः - खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा।						
11.	बैनर/विज्ञापनः -जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैनर/विज्ञापन बोर्ड						
	लगाने की अनुमति नहीं है।						
12.	मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमति नहीं है।						
13.	मैदान में वाहन लाने की अनुमति नहीं है।						
14.	परिसर के बाहर से खाने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड-ड्रिंक्स इत्यादि नहीं ला सकते। उन्हें केवल परिसर के						
	कैफेटेरिया से ही लेना होगा।						
15.	अभ्यास पिच के चारों ओर संगीत बजाने की सख्त मनाही है।						
16.	इवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट पिच किराये पर लेने की अनुमति नहीं है।						
17.	क्रिकेट पिच पर समुचित अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखाँ जाए।						
18.	प्रबंधन के पास अभ्यास पिचों की बुकिंग को एक अल्प अवधि की सूचना पर बिना कोई कारण बताए रद्द करने का						
10.	। प्रथम पर पात जन्मति ।पया परा थुपिरंग परा एपर जएप जपाव परा त्रूपंगा पर ।थगा पराइ परारण बताए रह पररंग परा ।						
10.	अधिकार है।						

<u>एरोबिक्स</u>

1.	सदस्य एवं आश्रित निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। कक्षाओं में रिक्तियों की उपलब्धता					
1.	ि जोने पर विभिन्न भारत सुरक्ष कर सुराता करक के भी अपादि सी साम की है।					
	होने पर निर्धारित भुगतान करके गैर सदस्यों को भी अनुमृति दी जा सकती है।					
2.	मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष में किया जाएगा, जिसके लिए भागीदार द्वारा रसीद प्राप्त की जानी चाहिए।					
3.	एरोबिक्स कक्षाएं सप्ताह में छ दिन (सोमवार अवकाश दिवस) लगेंगी।					
	गर्मी का समयः					
	प्रातः ७ बजे से प्रातः 11 बजे तक और सायं ५ से 9 बजे रात्रि तक					
	सर्दी का समयः					
	प्रातः 7.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक और सायं 5 से 8.30 बजे रात्रि तक					
4.	एरोबिक्स अनुदेशक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। भाग लेने वालों से अनुरोध है कि कक्षा आरम्भ होने से 10 मिनट					
	पूर्व पहुंचे।					
5.	ड्रेस – उचित खेल वस्त्र अथवा एरोबिक्स ड्रेस पहनी जाए।					
6.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर केवल भाग लेने वालों को अनुमति है।					
7.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर धूम्रपान वर्जित है।					
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। दुर्व्यवहार अथवा नियमों की अवहेलना करने के लिए अभ्यास					
	रोकने अथवा किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार कोच/अनुदेशकों को होगा।					
9.	एरोबिक्स हाल में मदिरा का सेवन वर्जित है।					
10.	एरोबिक्स हॉल में खाने-पीने के सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि के सेवन की अनुमति नहीं है।					
11.	इवेंट मैनेजमेन्ट एजेंसियों को एरोबिक्स हाल बुक करने की अनुमित नहीं होगी।					
12.	एरोबिक्स हाल में उचित अनुशासन शिष्टता बनाए रखी जाए।					

<u>योग</u>

1.	सदस्य एवं आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर योग कक्षाएं लगाई जाएंगी। कक्षा में रिक्तियां होने पर
	शुल्क का भुगतान करने पर गैर-सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है।
2.	कक्षाओं के लिए समय-समय पर समय सूचित किया जाएगा।
3.	ड्रेसः -उचित वेश-भूषा हो, अच्छा हो यदि ढीले वस्त्र पहने जाएं जो अधिक आरामदेह हो। अभ्यास क्षेत्र के अन्दर जूतों की
	अनुमति नहीं है।
4.	योग अभ्यास हेतु दरियां/चटाइयां भागीदारों द्वारा स्वयं लाई जाएंगी।
5.	जब कक्षा लगी हो, तब भागीदार को छोड़कर किसी को भी अभ्यास क्षेत्र के अन्दर आने की अनुमति नहीं है। दर्शक
	बाहर से देख सकते हैं।
6.	योग कक्षाओं के दौरान धूम्रपान वर्जित है।
7.	योगाभ्यास के दौरान शान्ति रखी जाएगी।
8.	कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के लिए अभ्यास को रोकने और भागीदार को
	निकालने का अधिकार योग शिक्षक का होगा।
9.	योग शिक्षक के निर्देशों के तहत समय-समय पर विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती हैं।
10.	निजी योग कोचिंग की अनुमति नहीं है।

<u>बास्केटबॉल</u>

1.	सदस्य एवं अश्रित सदस्य बास्केट बॉल कोर्ट पर परिसर के समय के अनुसार खेल सकते हैं। अतिथि अथवा आकस्मिक					
	सदस्य के रूप में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके गैर सदस्य आ सकते हैं।					
2.	समयाविध :					
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :</u>					
	प्रातः ६.०० बजे से रात्रि ९.०० बजे तक					
	शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :					
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक					
	(यदि स्कूलों/कॉलेजों को कोर्ट दिया गया है, तो पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कोर्ट उपलब्ध नहीं होगा।)					
3.	गर्मियों में अपराह्न 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे और सर्दियों में अपराह्न 5 बजे से रात्रि 7 बजे के दौरान संगठित टीम खेल					
	की अनुमति है। मैनेजमेन्ट के पास इसके लिए कोर्ट को देने का अधिकार सुरक्षित है।					
4.	ड्रेस: - शर्ट, टी-शर्ट, और शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर स्पोर्ट्स शूज। महिलाएं 'सलवार कमीज' और शर्ट एवं स्कर्ट पहन सकती					
	हैं।					
5.	व्यक्ति/टीम अपनी बास्केट बॉल स्वयं लाएगी।					
6.	कोर्ट में धूम्रपान करना मना है।					
7.	खेलने के लिए परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध करने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।					
8.	खेल के दौरान अनुशासन एवं खेलने के वातावरण को बनाए रखना होगा। परिसर के नियम उपविधि का उल्लंघन करने					
	पर व्यक्ति को सुविधा का उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है।					
9.	कोर्ट में मादक पेय पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।					
10.	कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।					
11.	निजी बास्केटबॉल कोचिंग की अनुमति नहीं है।					
12.	परिसर के बाहर से खाने-पीने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि लाने की अनुमति नहीं होगी। इनको					
	परिसर् के कैफेटेरिया से खरीदना होगा।					
13.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को बास्केटबाल कोर्ट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।					
14.	बास्केटबॉल कोर्ट में उचित अनुशासन एवं मर्यादा को बनाए रखाँ जाए।					
15.	प्रबंधन के पास बास्केटबॉल कोर्ट की बुकिंग को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।					

<u>तैराकी</u>

बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमित दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूप में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जीखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्मित की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। 11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सत्रस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल गेरिसर में खादा पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इंवेट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निधीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। खात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजॉ,संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जाता है, तो वह सस्थान तालाब की किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार-विधार-निधीरित दर के अनुसार सकरने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार करण							
भूगतान करने पर ताल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सदस्यों के साथ आने वाले अतिशियों को प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, बरार्त की ताल में स्थान उपलब्ध हो और अधिक्षत शुक्क का भूगतान कर दिया गया हो। प्राय्वेक सदस्य को अपना तेराकी पास्त्ररसीद जमा करना आवस्यक है और स्वागत कक्ष में रखें गए रिजस्टर में आते जाते साय अपना नाम तथा समय, सदस्यत-संख्या लिखना भी जरूरी है। पास शायकों को तैरने की अनुमति मासिक,सीजन पास में यहानिशिति समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। तम बेता वालों तो तैराकों के लिए कैप पहनना अनिवारों है। को अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना अनिवारों है। को अनुमति नहीं होगा। उन्हें उपने के कारण वैरने से मान कर सकता है। किसी भी पूर्विता अथवा हाइसे के लिए प्रवेशकों की कोई जवाबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चीर अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वर्य जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दूर्यटना अथवा मृत्यू होने के मामते में किसी भी श्रीतियु के दावे पर विवाद नहीं किया जाएगा। 5. गैर तैराक नीरिशिख तैराक तरण-ताल के महरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बेरियर को पार नहीं करेंग। नीरिशिखों का लाल केप पहनना अनिवारों है। यदि कोई नीरिशिखा उपयु किसी को उन्हमित नहीं है। 5. यहं की को पुर्वेह के में उपये करने की अनुमति नहीं है। 6. यहं की को पुर्वेह के में उपक करने की अनुमति नहीं है। 7. यहंकों को पुर्वेह के में उपक करने की अनुमति नहीं है। 8. पार वर्षे से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में पूर्वेश करने की अनुमति नहीं है। साथ पर वर्ष से कम अगु के बच्चों को तरण ताल में पूर्वेह केपने मान की अनुमति नहीं है। 8. पार वर्षे से कम अगु के बच्चों को तरणा।। साथ की से से सहस को है। 8. पार वर्षेह कम में महले के सह	1.	सदस्य एवं आश्रित व्यक्ति तरण-ताल की क्षमता के अनुसार स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क का					
2. प्रयोक सदस्य को अपना तैराक्ष पास्त्र-सिंद क्या करना आवश्यक है और स्वागत कक्ष में रखे गए रिजस्टर में आते जाते समय अपना नाम तथा समय, सदस्यत-संख्या लिखना भी जरूरी है। 3. पास धारकों को तैरने की अनुमति मासिक सीजन भी जरूरी है। 3. पास धारकों को तैरने की अनुमति मासिक सीजन भी जरूरी है। 4. सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाय करेंगे। साबुन, शैम्प, और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं हो। 4. सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाय करेंगे। साबुन, शैम्प, और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें विकास के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें विकास के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें विकास के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें विकास के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें विकास करने अनियमों का उल्लेखन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी द्रार्थन अथवा हात्स के लिए यलेखन की को जुवाबदेही नहीं है। बिहुधा का उपयोग करने समय किसी भी बोट अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू करने हो हो लिए सिर्में सुर्घटना अथवा मृत्यू के स्वयं के स्वयं के स्वयं के सुर्घटन हो हो सुर्घटन हो सुर्घटन हो सुर्घटन हो सुर्घटन हो सुर्घटन हो हो सुर्घटन हो हो सुर्घटन ह							
 प्रतिक सदस्य को अपना तैराकी पास्त्रसीद जमा करना आवश्यक है और स्वागत कक्ष में रखे गए रिजस्टर में आते जाते समय अपना नाम तथा समय, सदस्यत-संख्या तिखना भी जरूरी है। पास धारकों को तिरने की अनुमति मासिक/सीजन पास में मथानिधारित समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अमित कर दिया जाएगा। सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्यू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। तम्बे बालों वाले तैराकों के लिए केप पहनना अनिवाये है। को असावित कर तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्यू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। तम्बे बालों वाले तैराकों के लिए केप पहनना अनिवाये है। को असाव हादसे के लिए प्रवेश करने/निपमों का उल्लंधन करने के कारण तैरने से माना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा मुख्ते हेले एए प्रवेशकों की कोई जावबंदिन हैं। हैं। ही सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चीत अथवा मुख्ते हों तिए प्रवेशकों की कोई जावबंदिन हों है। हो सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चीत अथवा मुख्ते हों त्या करने हैं। वे स्वात करने एवं स्वत के तिए प्रवेशकों की कोई जावबंदिन हों है। है। है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चीत अथवा मुख्ते हों ते ति स्वत का तिए में प्रवेशकों को अल्वात हों है। वे स्वत्र करने के कारण तैरोग को साम किसी भी चीत अथवा मुख्ते हों ते हैं। वे स्वत्र करने के साम किसी भी चीत अथवा मुख्ते हों ते हैं। वे स्वत्र करने के साम किसी भी कारण करना है। तो साम की साम किसी में प्रवेशकों को उल्लंधन करेगा तो ऐसा वह अपने जीविश्य करने की अनुमति नहीं है। सहस्वों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थुके और न ही किसी अन्य तरीके से सराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीडिक को प्रवेशकों के अल्वात है को अनुमति नहीं है। सहस्वों से प्रवेश करने के अनुमति नहीं है। सहस्वों से प्रवेश करने के अनुमति नहीं है। संस्व के सक्त के सक्सों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथा प्रवेश के स्व करने किसी हो स्व स्व साम की की स्व करने के अनुमति नहीं है। के स्व के से सन अप अप के बच्चों को तरण ताम प्रवेश के अनुमति नहीं है। संस्व के से सन के बाद तरना माम है। स्व से स							
समय अपना नाम तथा समय, सदस्यात संख्या लिखना भी जरूरी है। पार धारकों को तेरने की अनुमति नासिक/लीजन पास में यथानिधिरित समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को अधित कर दिया जाएगा। सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्यू, और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवस्थक है। तमबे बालों वाले तराकों के लिए केप पहनना अनिवाय है। को वाले वालं हाले तराकों के लिए केप पहनना अनिवाय है। को उसके द्वारा द्वारा दी गई सभी दियानों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबन्ध की भी प्रवित्त को उसके द्वारा दुवर्वहार करने/नियमों का उल्लंधन करने के कारण तैरने से माना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रवंशकों की कोई जातबही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चीट अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक त्राच जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक त्राच जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक तर व्याविक्त के मामले में किसी भी श्रीत्यू कि के ताये पर विवार नहीं किया जायां। अतः को लिए विवार के मामले में लिसी भी श्रीत्य के का तर का ति वर्ष अपने को लिस पर हमा अथित तरिक कर महित्य होगा। अतः कोई भी दिया को का तर का ति वर को अनुमति है। स्वयं के को अनुमति है। से कोई नीयि होगी से पर सकते हैं। यहा विवार पर होगी पर होगी पर होगी है। वहा किसी का तर होगी के सुना हो							
 आस धारकों को तैरने की अनुमति मासिक/सीजन पास में यथानिथिरित समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अविटित कर दिया जाएगा। सभी तैराक तरण लाल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। लम्बे बालों वाले तैराकों के लिए कैप पहनना अनिवार्य है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। हिस्सी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने/नियमों का उल्लंघन करना अति आवश्यक है। प्रवश्यक/कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हाद से के लिए प्रवधकों की कोई जवाबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वर्ध जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वर्ध जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वर्ध जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक स्वर्ध जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यू के लिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में आने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बीरियर को पार नहीं करेंगे। नीसिखियां का लाल केप पहनना अनिवार्य है। मदि कोई नीसिखियां उपर्युक्त प्रतिबंधी का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जीखिम पर करेगा। स्वर्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न यूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने को अनुमति नहीं है। यंश्व के के कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथारिय, मदि किसी वयसक व्यक्ति द्वार और अनुराध है। मंत्र वर्व के कम मों कोई कीमती पड़ी/पर्श/मृत/अभूषण अति नहीं है। तथारिय कोई तथारिय कोई व्यक्ति होता स्वर्ध साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से उरण और 8 वर्ष वे मिन के बच्चों में उत्तर तथा होता है। कोई व्यक्ति के कम ममें कोई कीमती पड़ी/पर्श/मृत/अभूषण और नहीं हो। तथारिय कोई को अनुमति नहीं है। तरण-ताल प्रतेश भी प्रवार के अभूषणों जैसे ने कम अनुरी, चूडिया, इत्यादि पहनने को अनुमति नहीं है। करिया अपने के को कर के किस के अनुरी के अनुरी के की का कर के का कहा जिए का स्वर्ध के प्रवार के अनुमति हो							
अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को आबंदित कर दिया जाएगा। 4. सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्यू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। लब्बे बालों वाले तैराकों के लिए केप पहनना अनिवार्य है। कोग/लाइफ-गार्ट द्वारा दी गई सभी दियारतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबथक/कोव किसी भी यदित को उसके द्वारा द्वारा दी गई सभी दियारतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबथक की भी भी प्रवंदना अथवा हादसे के लिए प्रवेशकों की कोई जावाददेंही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वर्य जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वर्य जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वर्य जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षेतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. गैर-तैराक नीशिखिए तैराक तरण-लाल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बेरियर को पार नहीं करेंग। नीशिखियों का लाल केप पहना अनिवारों है। यदि कोई नीशिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधी का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जीखिम पर करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग,सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यविद्य हो का अनुमित नहीं है। 7. वर्षकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। वे दर्शक-दीधों में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों करित करेंग, केप केप केप को की की की की का करती है। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों केप अनुमित नहीं है। वे दर्शक-दीधों में रह सकते हैं। 9. कोई व्यक्ति चेज रूप में कोई कार्योश स्वर्थ करने की अनुमित नहीं है। तरण जो लोकों केप केप केप केप करेंग केप करेंग केप केप केप केप केप करेंग केप अनुमित नहीं है। तरण जो की की की केप कर केप आयु केप की कीम की अनुमित केप	3						
 अर्बाटित कर दिया जाएगा। सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित घोशाक पहनाना आवश्यक है। लाबे बालों वाले तैराकों के लिए केप पहनाना अनिवाये है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबश्क कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दूर्ववहार करने/नियमों का उल्लंघन करने कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जवाबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी धी प्रवंदा अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक त्रण-ताल के गृहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बेरियर को पार नहीं करेंग। नीसिखियों का लाल केप पहनना अनिवाये है। यदि कोई नीसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जीखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सदी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। दशकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीघों में रह सकते हैं। यांव वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथाणि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो s वर्ष से उपर तथा अनुमति नहीं है। तथाणि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जोदि मृत्योक्ति हो। कोई व्यक्ति चंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/यन/आमृत्या को आने की अनुमति नहीं हो तथाणि तथा हो तथा हो। कोई व्यक्ति के कम अयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथाणि को लिए की स्वयं के बाद विक्ता हो तथा हो। कोई को के का को के कोई वस्तू नहीं लाई जाएगी। धूम्पान और महापान पर सख्ते तथा है। यह को की को को का करने के लिए प्रवंद नहीं लाई जाएगी। धूम्पान अपनेत की सुरामात का तथा हो। किसी भी कारण से तरण ताल के बंद होने/किए जाने पर तैरकी म्याप किसी भी समय समार की जा अनुमति हो है। सियाप पूल में में सावके की कर	J.						
 सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्मू और तेल का प्रयोग करने की अनुमित नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनाना आवश्यक है। तमहें बातों वाले तराकों के लिए केप पहनाना अनिवाये हैं। कोच्लाइफ-गार्ड द्वारा वीय ईस भी हिदारों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। वर्ष बातों वाले तराकों के लिए केप पहनना अनिवाये हैं। जेए अलाक हो भी इपेटना अथवा हाइसे के लिए प्रवेशकों को कोई जावबेंद्री नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यू के लिए तरेक क्या विमादेत होगा। अतः कोई भी इपेटना अथवा मृत्यू के लिए तरेक क्या विमादेत होगा। अतः कोई भी इपेटना अथवा मृत्यू होने के मामले में किसी भी क्षितिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। गैर-तैराक नीसिखिए तराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नीसिखियों का लाल केप पहना अनिवायें है। यदि कोई नीसिखिया उपर्युक्त प्रतिवंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। यांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वर्षाक दीधों में रह सकते हैं। गंच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथाएँ, यदि किसी वयसक व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो उर्ब से उपर अप, अ 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। को केप केप केप केप में कोई कीमती घड़ी/सर्दे/धन/आपूष्ण आदि नहीं रखागा परि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्पित की सुरक्षा हेतु प्रवेधक कोई जिप्से चार्डा/सर्दे/धन/आपूष्ण आदि नहीं रखागा पर सखारे के अनुमति नहीं है। तरण ताल प्रतेश में अच्चे को दस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्पान और मद्याप पर सखारों के अनुमति नहीं है। तरण ताल प्रतेश में अच्चे को वर्द होती लाई जाएगी। वर्त का प्रतेश में उत्ते केप केप केप केप केप केप तर होती है। किसी भी तेराक को तरण ताल के बंद होनी/किए जाने पर तैराकी खता पर सखारों हो। सिम्पे प्रतेश केप तर हो हो तर स्वार विचार केप केप केप सुत्त हो है। किसी भ							
नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनाना आवश्यक है। लाबे बालों वाले तैराकों के लिए कैप पहनना अतिवारों है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दो गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबन्धक/कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुव्यवहार करने/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जावबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करने समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु कोने के मामले में किसी भी क्षेतिपूर्वि के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. गैर-तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को चार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल केप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जीखित करों पर स्वार्य हो स्वर्य करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करे। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को रोन की अनुमित नहीं है। 7. दर्शकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। वे दशक-दीर्घा में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथािए, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से उपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंक कम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आमृषण आदि नहीं हो। तथािए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जीखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमाया विस्तु हुत्य हुत्य संवर की सुत्य हुत्य स्वरंग कोई जिम्मेदारी नहीं लें। तरण-ताल प्रतेश में में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आमृषण आदि नहीं है। 10. तरण-ताल प्रतेश में मां की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी की कीमाया पर सरस्व रोक है। 11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाद की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होन/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं है। 13. स्वर्या को बें सुत्य पूल में 80 तैराच मान नहीं है। 14. स्वर्य के सेनन के बाद तैरना मान है। 15. स्वर्य मुत में में ती की कोच	1						
कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा द्वी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबच्धक/कोच किसी भी व्यर्दता को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने/नियमों का उल्लंधन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जावबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी योट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी द्वित्य निवार के स्वयं के स्वयं के पार करेगा। नैसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। 7. दर्शकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीधा में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बब्धों के तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो उर्वर से उपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चे को अनुमति ही जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति वंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रक्षेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिया/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कोमती वस्तु/सम्मत्ति की सुरक्ष। लेप कोम्पती नहीं है। तर्य त्रात्य प्रवेश में भी भी प्रकार के आपूष्णों को से नेन अनुपती नहीं है। तर्य त्रात्य प्रवेश से साथ की कोई हम्मेदार सुर्धा को अनुमति नहीं है। तर्य त्रात्य प्रवेश से साथ की कोई हम्मेदार सुर्धा को अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जास्या हो। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होना की अनुमति नहीं है। स्वित्य पुरक से में में हैं हो तर सुरक सुरक के की अनुमति नहीं है। स्वित्य पुरक के सेवन के बाद तैरना मना है। स्वित्य पुरक के सेवन केव	4.						
को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने,/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी वुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जाबबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी बोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक रवर्य जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. गैर-तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल केप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूके और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। 7. दर्जकों को पूलडेक में प्रवेश कर के अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घा में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयरक व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से उपरा और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंक रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति एक्ति है। 10. तरण-ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और महायान पर सख्त रोक है। 11. किसी भी तराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लंख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। 14. घरस्यों के बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 15. सदस्यों में बात करने के जाय एक्ता के अनुमति नहीं है। 16. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 17. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 19. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 19. स्थिम पूल में मिजी कोचिंग के अनुमति नहीं है। 19. स्थिम पूल मे							
अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों को कोई जावाबदेही नहीं है। सुविशा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. गैर-तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल केप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम एक करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चमरीग/सदीं-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। 1 वर्ष के कम आयु के बब्बों को तरण लाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयरक व्यक्ति द्वारा बब्बे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बब्बों को आने की अनुमति दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूप में कोई कीमती घड़ी/पर्स/यन/आनुषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिन/पिनमेदारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुखा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आधूषणों जैसे चेन, अंगुठी, चुठियां, इत्यदि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद इरेगा। किसी भी तराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दिनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकी की अनुमति नहीं है। 14. शराब के सेतन के बाद तेरना मना है। 15. स्वस्यों पूल के सेता करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल को चोंगई में तैराकी की अनुमति नहीं है। 17. स्वस्यों पूल के चेंगई में तराकी की अनुमति नहीं है। 18. स्विमेंग पूल के चेंगई में में तराई स्वारोर बनाए रखें। 18. स्विमेंग पूल को चोंगई में पराकी जो अनुमति नहीं है। 18. स्विमेंग पूल के	काच/लाइफ-गांड द्वारा दा गई सभा हिंदायता का अनुपालन करना आतं आवश्यक है। प्रबन्धक/का						
के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. गैर-तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सदी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। 7. दर्शकों को पूलडैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घा में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयरक व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से उपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति वी का सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूप में में अपर अर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जासकती है। 10. कोई व्यक्ति चेंज रूप में में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंग। तैरते समय किसी भी फ्रार के आभूषणों जेसे- चेन, अंगुठी, चूडियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। 11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सन्नीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सन्न में मुख्य पूला में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। 14. साराब के सेवन के बाद तरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। 17. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में जिज कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में चिंत अनुशासन एवं सदावाद बनार बनाए एस सुरके आदि की अनुम		्का उसके द्वारा दुव्यवहार करन/ानयमा का उल्लंधन करने के कारण तरने से मना कर सकता है। किसा मा दुधटना					
 भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। गैर-रीरक नौसिखिए रीयक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बैरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तेरने की अनुमति नहीं है। दशकों को पुलड़ेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पांच वर्ष से कम आपु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयसक व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से उपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। कोई व्यक्ति चेंक रूम में कोई कीमती पड़ी/पर्स/थन/आमृश्यण आदि नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्मत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंध करि कोमती पड़ी/पर्स/थन/आमृश्यण आदि नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्मत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंध करि किम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभृषणों जैसे. चेन, अगृठी, चूंड्यां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रयेक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तेराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के उपयोग की अनुमति नहीं है। स्विमा पूल में अव ते तरण मान है। स्वमिंग पूल में संतन के बाद तेरना मना है। स्वमिंग पूल में बीन को को की अनुमति नहीं है। स्विमा पूल में नी बजान की अनुमति नहीं है। स्विमा पूल में नी बजान की अनुमति नहीं है। स्विमा पूल में नी को को अनुमति नहीं है। स्विमा पूल में नी कान कोई कारण बताए अरखान का एस हो। संस्थान हेत में तरिष्य अपनुशासम एवं सदावार बाला रहा एक का प्रवंश के। शिम का हो हो भी भी दूट-		। अथवा हादस के लिए प्रबंधका का कोई जवाबदहां नहीं है। सुविधा का उपयोग करत समय किसा भा चाट अथवा मृत्यु					
 गैर.तैराक नौसिखिए तैराक तरण-ताल के गहरे भाग में जाने से उन्हें रोकने हेतु लगाए बेरियर को पार नहीं करेंगे। नौसिखियां का लाल केप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखियां उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। व दर्शक-दीर्घी में रह सकते हैं। यांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयरक व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से उपरा जोर 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। कोई व्यक्ति केंच रून में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिममेंवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिममेंदारी नहीं तैंग। तरेत समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे वेन, अंगूठी, यूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के खंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। स्विमिंग पूल में बात करने के बाद तैरना मना है। स्विमिंग पूल में बात वजन के अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल में जी कोचिंग की अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदावार बनाए रखें। स्विमिंग पूल में जी को स्विम पूल बकर करने की अनुमति नहीं है। स्विमिंग पूल में जीवत अनुशासन एवं सदावार बनाए खें। संस्थाप निर्ध निर्देश संसाम को बिना कोई कारण बताए अल्पता को सम्पता हो। पह समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमति नहीं है। संस्थान निर्ध निर्द श्व को भूपता करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को							
नौसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। 6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीकें से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तेरने की अनुमति नहीं है। 7. दर्शकों को पूलड़ेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घो में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथािंप, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दो कालती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूप में कोई कीमती घड़ी,पर्संप्रध्न/आमृष्ठण आदि नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लोंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे. चेन, अंगूठी, चूडियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई क्तर्तु नहीं लाई जाएगा। धूसपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रतेक सोमवार बंद रहेगा। 11. किसी भी कारण से तरण-ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जाएगा। 12. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में अत्र तेमकी की अनुमति नहीं है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. स्वस्मिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए खों। 18. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए खों। 18. स्विमिंग पूल में जित काने ई कारण बताए अल्यकालीन नीटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकाम है। 18. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए खों। 19. स्विमिंग पूल में अपने की अनुमति नहीं है। 19. स्विमिंग पूल में अपने की अनुमति नहीं है। 10. स्विमिंग पूल में अपने की अनुमति नहीं है। 11. स्विमिंग पूल में अपने की अनुमति नहीं है। 12. स्विमिंग पूल में जित कोई कारण बताए अल्यक्त के ररण-ताल की बुक कर सक्ती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के सस्या							
 अपने जीखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुशेध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमित नहीं है। दर्शकों को पूलड़ेक में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। तथाि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमित दी जा सकती है। कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जीखिम/जिमोवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्पित की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे. चेन, अंपूरी, चूडियां, हत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तेराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। स्वार के सेवन के बाद तेरना मना है। स्वार्मिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में जीवत अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। स्विमिंग पूल में अवित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। स्विमिंग पूल में जीवत अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। संस्थान हेत बिना कोई कारण बताए अत्यक्तिन में। हित स्थानत ही है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमित वालाए में। छात्र के उत्त की अनुमित नहीं है। संस्थान हेत्री साल की बिना कोई करण का भूतान करके तरण-ताल की बुक कर सकती है। एक समय म	5.						
 सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्तिं को तैरने की अनुमति नहीं है। दश्कीं को पूलड़ैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिमोवारी पर करेगा। यदस्यों की कीमती वस्तु/सम्मित्त की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिममेदारी नहीं लों। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमिति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। रात्र के सेवन के बाद तैरना मना है। रात्र के सेवन के बाद तैरना मना है। रात्र के सेवन के बाद तैरना मना है। रित्रमिंग पूल की चोड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। रित्रमिंग पूल की चोड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। रित्रमिंग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनान की अनुमति नहीं है। रित्रमिंग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। रित्रमिंग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। रह्तिमांग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। रह्तिमांग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। रह्तिमांग पूल में उनित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। रह्तिमांग पूल में अनित की किसी भी मान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमति वी जिएगी। छात्र के परान विश्व प्रतान विर							
पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। 7. दर्शकों को पूलडेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक दीर्घी में रह सकते हैं। 8. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है, तो 5 वर्ष से उपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आमृषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे. चेन, अंपूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। 11. किसी भी तराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। 19. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमति नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थार हेतु विसेंस संस्थार हेतु विंख अप का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमति हो लिएगी।। छात्रों की सुस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल,किलीं,संस्थान की हिगी। पदि किसी संस्थान द्वार तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमति ही जाएगी। सही संस्थान सही के सम्यान हो हो स्थार निराहित हो स्थार क							
 रर्शकों को पूलड़ैक में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। वे दर्शक-दीर्घी में रह सकते हैं। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष में नोचे के बच्चों को आने की अनुमित दी जा सकती है। कोई व्यक्ति चेंज रूप में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पित की सुरक्षा हेतु प्रवेधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में मीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमित हो खुक करने की अनुमित नहीं है। संस्थाए निर्धीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमित वी जाएगी। संस्थान निर्धीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमित दी जाएगी। संस्थान निर्धीरित शुल्क का भ	6.						
 श. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमित दी जा सकती है। १. कोई व्यक्ति वेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण औत नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं तैंगे। तेरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे. चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में नीजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 10. इंटेट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 11. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 12. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। 18. संस्थान हेतु निर्देश संस्थान हेतु किया कोई अगुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 19. संस्थान हेतु किया की अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 10. इंटें मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमांग पूल कुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों के अनुमित हो बिएगा। किसी संस्थान होत हो बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान लाता के किसी भी टूट-फूट की पूरी संस्थान को बि							
बच्चे साथ लाए जाते हैं, तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमित दी जा सकती है। 9. कोई व्यक्ति चेंज रूप में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जीखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों को कीमती वस्तु/सम्मित की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। 11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सत्रस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल गेरिसर में खादा पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इंवेट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निधीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। खात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजॉ,संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जाता है, तो वह सस्थान तालाब की किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार-विधार-निधीरित दर के अनुसार सकरने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार करण	7.						
 कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घड़ी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्मित की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लों। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे. चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल मों निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदायार बनाए रखें। प्रवंधन के बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निधीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलोजी/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान तरण-ताल को प्रतिया तरण-ताल को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठ-/संस्थान द्वारा रद करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निधीरित दर के अनुसार स्व करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। 	8.	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा					
ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं तेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में मंगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में मंगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल परिसर में खाइ पदार्थों, वाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इतेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाप निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित वी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजी/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रविक्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठ-प्रसंस्थान हो प्रांध संस्थान तालाब की किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठ-प्रसंस्थान हो संगठ-प्रसंस्थान द्वारा रद करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा रािश रदकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-							
ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्तु/सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं तेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में मंगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में मंगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल परिसर में खाइ पदार्थों, वाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इतेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाप निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित वी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजी/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रविक्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठ-प्रसंस्थान हो प्रांध संस्थान तालाब की किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठ-प्रसंस्थान हो संगठ-प्रसंस्थान द्वारा रद करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा रािश रदकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-	9.	कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घडी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह					
तिंग। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूड़ियां, इत्यादि पहनने की अनुमित नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूप्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेत्र निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय		ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्त्र/सम्पत्ति की सुरक्षा हेत् प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं					
ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धूम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 3. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 4. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 5. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 6. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 7. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 8. स्विमिंग पूल में नजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रत्यंश्व को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थाए निधीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान लाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निधीरित दर के अनुसार समय:-							
 10. तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेंगा। 11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमति है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल में चौड़ाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमति नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमति नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थान हेतु निर्देश संस्थान वें जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रविक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी सूट-फूट की पूरी क्षितपूर्त करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समयः- 							
11. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमित, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमेंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमेंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमेंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेकामेंट एजेंसियों को स्विमेंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमेंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमेंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थार निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल,कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-	10.	ů ii					
है। 12. किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमेंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमेंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमेंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमेंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमेंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमेंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थार निर्धिरत शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल,कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान स्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धिरित दर के अनुसार समय:-							
किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शुल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं किया जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमेंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमेंग पूल में मंगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमेंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, वाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, वाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमेंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 17. स्विमेंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 18. संस्थान हेतु निर्देश संस्थान हेतु निर्देश संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी सूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-							
जाएगा। 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमेंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमेंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमेंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमेंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमेंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमेंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन की बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमेंग पूल की बुकिंग को रह करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रह किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रह करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रहकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-	12.						
 13. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की अनुमित है। 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल को बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दिकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
 14. शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थाए निधीरित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निधीरित दर के अनुसार समय:- 	13						
 15. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमित नहीं है। 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
 16. स्विमिंग पूल की चौड़ाई में तैराकी की अनुमित नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
 17. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 		सिद्धा का बात करने के राष्ट्र एक समूह बनान का अनुमात नहां है। - स्टिक्स एक की कैटर्स में कैपकी की अनुमाद की है।					
 18. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
 स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमित नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमित नहीं है। 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:- 							
21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें। 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-							
22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है। संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-							
संस्थान हेतु निर्देश संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-		स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें।					
संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समयः-	22.						
अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-							
तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समय:-		संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को					
तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षितिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समय:-	अनुमति दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि वि						
क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समयः-							
जा संकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्क:-निर्धारित दर के अनुसार समय:-		क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया					
काट ली जाएगी। प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समयः-		जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्दे करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में					
प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार समयः-							
समयः-		· ·					
NIC -		प्रातः-					

प्रथम सत्र प्रातः 6.00बजे से प्रातः 7.00 बजे तक द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक छठा सत्र प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

सायं:-

सातवां सत्र दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आठवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक नवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक दसवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ग्यारहवां सत्र शाम 7.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक बारहवां सत्र रात 8.00 बजे से रात 9.00 बजे तक (केवल ग्रीष्मकालीन)

(12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सफाई)

नोट:-एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शावर में लगते हैं।

बालतरण-ताल

1.	प्रविष्टि सदस्यों के बच्चों के लिए जिनकी आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच है "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर सीमित					
	है।					
2.	बाल तरण-ताल के डैक क्षेत्र के एक अनुचर उपस्थित रहेगा, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।					
3.	सदस्य के साथ आने वाले अतिथि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर प्रविष्टि की अनुमित होगी बशर्ते, छोटे बच्चों के तालाब में स्थान उपलब्ध हो।					
4.	अनुचर स्वागत कक्ष में रखे जाने वाले रजिस्टर में आने और जाने के समय बच्चों का नाम और उसकी सदस्यता संख्या					
	दर्ज करेगा।					
5.	तैराकी पास/रसीद प्रवेश के समय स्वागत कक्ष में जमा किए जाएंगे और तालाब छोड़ते समय वापिस लिए जाएंगे।					
6.	पास धारकों को मासिक/सत्रीय/सामयिक पास में यथानिर्धारित आबंटित समय और सत्र में ही तैरने की अनुमति दी जाएगी। पास धारक आबंटित समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करेंगे।					
7.	किसी भी तैराक को तरण-ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती					
,	है।					
8.	सभी तैराक समुचित पोशाक पहनकर तैरेंगे। लम्बे बालों वाले बच्चों के लिए कैप अनिवार्य है।					
9.	तालाब के इंचार्ज/कोच/जीवन रक्षक द्वारा किसी भी कारण से दी गई सभी हिदायतों का पालन किया जाएगा।					
	प्रबंधक/कोच किसी भी बच्चे/अनुचर को उसके दुर्व्यवहार अथवा नियमों का उल्लंघन करने के कारण बच्चों का तालाब					
	में प्रवेश करने से मना कर सकता है।					
10.	तैरने के दौरान किसी भी चोट लगने अथवा मृत्यु के लिए तैराक अथवा अनुचर ही जिम्मेदार होगी। प्रबन्धकरण किसी भी					
	दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगें।					
11.	तैरने के दौरान किसी भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी हर्जाने या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।					
12.	चर्मरोग/खांसी और जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।					
13.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी भी तरह से उसे प्रदूषित करें।					
14.	आगन्तुकों को तालाब के डैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।					
15.	तरण-ताल परिसर में खाने-पीने का कोई भी सामान नहीं लाया जाना चाहिए।					
16.	किसी भी कारण से तालाब बंद होने की स्थिति में पासों पर भुगतान वापिस नहीं किया जाएगा।					
	समयः-					
	प्रातः-					
	प्रथम सत्र प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक					
	द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक					
	तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक					
	चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक					
	पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक					
	छठा सत्र प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक					
	सायं:-					
	सातवां सत्र दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक					
	आठवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक					
	नवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक					
	दसवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक					
	ग्यारहवां सत्र शाम 7.00 बजे से रात 8.00 बजे तक					
	बारहवां सत्र रात 8.00 बजे से रात 9.00 बजे तक					
	(केवल ग्रीष्मकालीन)					
	(12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सफाई)					
17.	एक सत्र में बालतरण – ताल में केवल 20 तैराकों (या जैसाकि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को तैरने की					
	अनुमति है।					
	नोटः -एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शॉवर में लगते हैं।					

फिटनेस केन्द्र/मल्टीजिम

प्रवेश के समय प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्वागत कक्ष में रखे गए रजिस्टर में अपना नाम लिखना आवश्यक है। सदस्यों को ड्रैस कोड के अनुसार पोशाक अर्थात् ट्रैक सूट, टी-शर्ट, टाइट्स आदि पहनना आवश्यक है। स्टाफ के सदस्य अथवा अन्य किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का दर्व्यवहार बर्दाशत नहीं किया जाएगा। प्रबंधकों को 2. किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य को जिमनेजियम के उपयोग करने से इंकार करने का पूरा अधिकार है। उपोयगकर्ताओं को परिसर में अपने कोच को लाने की अनुमति नहीं है। जिम में निरीक्षण/सहायता हेतु प्रशिक्षक निःशुल्क उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को पूर्ण अनुशासन और निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षक के पास किसी भी व्यक्ति को दुराचार अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर सुविधा का प्रयोग करने से इंकार करने का पूरा अधिकार है। गंभीर दिव्यांगता/स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त उपयोगकर्ता को फिटनेस केंद्र उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। 5. मल्टीजिम में कोई खाद्यपदार्थ/पेय पदार्थ (पानी के अलावा) नहीं लाया जाएगा। ध्रुम्रपान, मदिरा के सेवन अथवा किसी भी प्रकार के इंग्स के सेवन की सख्त मनाही है। म्यूजिक सिस्टम पर निजी कैसेट/सी.डी. /पेन-डाइव इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 6. सुविधा का उपयोग करते समय कोई दुर्घटना होने अथवा चोट लगने के लिए प्रबंधक जिम्मेदार नहीं होंगे। इस सेन्टर का उपयोग सदस्य के जोखिम पर होगा। इसी प्रकार दुर्घटना होने अथवा चोट लगने, मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सदस्यों के कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधकों की नहीं होगी। सदस्यों को चेन्ज रूम में अपने कीमती 7. सामान/घडी/पर्स/रुपया-पैसा/आभूषण रखने की अनुमित नहीं है। इन नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति ऐसा काम अपने जोखिम पर करेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वज़न उठाने की अनुमति नहीं है। जिम के भीतर दर्शकों के लिए अनुमति नहीं है। 9. 10. जिम में उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी उपकरण को जान-बूझ कर पहुँचाई गई क्षित के लिए उपकरण को बदलने/मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी/ अथवा पहली बार उन पर यथा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को सेवाओं का प्रयोग करने से विवर्जित कर दिया जाएगा। सविधा का प्रयोग करने के लिए अतिथियों को सदस्यों के साथ आना चाहिए। अतिथि द्वारा किसी भी प्रकार के 11. दुराचार/दुर्व्यवहार/असुविधा के लिए सदस्य उत्तरदायी होगा। प्रभार/शुल्क- निर्धारित दरों के अनुसार। 12. 13. समय:-गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक फिटनेस सेंटर लाइसेंस पर पेशेवर व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और वह इसके ठीक प्रकार से संचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई शिकायत करनी हो अथवा सुझाव देना हो तो उसे लाइसेंसधारी के पास रखी गई शिकायत/सुझाव पुस्तिका में लिखकर देना चाहिए। सदस्यगण किसी शिकायत/सुझाव के बारे में पारी प्रभारी को भी सुचित कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो सचिव को लिखित में दे सकते हैं।

<u>स्केटिंग</u>

	प्रस्तावित नियम, विनियम
1.	सदस्य और उनके आश्रित व्यक्ति खेल परिसर के समयानुसार स्केटिंग रिंक का उपयोग कर सकते हैं।
2.	आकस्मिक सदस्य एवं अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक भुगतान करके स्केटिंग रिंक का उपयोग कर सकते हैं।
	तथापि रिंक में प्रवेश रिंक में स्थान उपलब्ध होने पर दिया जाएगा और समय-समय पर अटैंडेट/कोच द्वारा प्रवेश सीमित
	किया जा सकता है।
3.	सदस्य/आश्रित और अन्य व्यक्ति रिंक प्रवेश करने से पूर्व अपने नाम, सदस्यता संख्या, रसीद संख्या और परिसर में आने
	के समय की प्रविष्टि परिचर के पास रखे रजिस्टर में करेगा।
4.	मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।

 5. स्कूली बच्चों के लिए प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच निर्धारित दरों पर छूट की व स्कूलों/संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा रिंक का उपयोग पूर्व बुकिंग द्वारा निर्धारित समय पर किया जा सकता है। 6. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्केट और अन्य प्रोटेक्टिव हैंड/बॉडी गियर लाए जाए। स्केटर से लगने वाली लिए पिरसर उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्केटिंग के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे भागीदार खतरा हो। स्केटर को रिंक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमित नहीं होगी। 7. दर्शक रिंक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिंक के चारो ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग देख सकेंगे। 8. रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। 9. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रिंग अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, जपर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक के की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथािप, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उविस्तार व्यवस्था (पीए सिस्टम) का प्रयोग कर सकते हैं। 	केसी चोट के					
 हि. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्केट और अन्य प्रोटेक्टिव हैड/बॉडी गियर लाए जाए। स्केटर से लगने वाली लिए परिसर उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्केटिंग के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे भागीदार खतरा हो। स्केटर को रिंक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमित नहीं होगी। हिं इंक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिंक के चारो ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग देख सकेंगे। हिं के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले र भी अनुमित नहीं दी जाएगी। सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 						
लिए परिसर उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्केटिंग के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे भागीदार खतरा हो। स्केटर को रिंक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमित नहीं होगी। 7. दर्शक रिंक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिंक के चारो ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग देख सकेंगे। 8. रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। 9. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रंभी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक कि अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
खतरा हो। स्केटर को रिंक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमित नहीं होगी। 7. दर्शक रिंक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिंक के चारो ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग देख सकेंगे। 8. रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। 9. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/अश्वित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ	क्री सुरक्षा को					
 रर्शक रिंक में प्रवेश नहीं करेंगे, स्केटिंग रिंक के चारों ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग देख सकेंगे। रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। रक्तेट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले र भी अनुमित नहीं दी जाएगी। सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक की अनुमित नहीं दी जाएगी। स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथािप, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 	1					
 स्केटिंग देख सकेंगे। रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। रिंकट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 						
 8. रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमित नहीं है। 9. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 	टिंग गैलरी से					
 9. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पिहये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रंभी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, जिए सामाने अनुमित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक कि अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 						
 10. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथािप, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 						
रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
 11. 'स्केट बोर्ड' का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 12. स्टील के पिहये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रं भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक के जी अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 	भी स्केटर को					
 12. स्टील के पिहये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रें भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक के अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 						
भी अनुमित नहीं दी जाएगी। 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
 13. सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, ज पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 	लर स्केट को					
पर आयोजित किया जाएगा। इस अविध के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्ष हैं। इस अविध के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक क की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
की अनुमित नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
 14. स्केटिंग शुल्क का भुगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। 15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ 	हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक का प्रयोग करने					
15. स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उ						
ਰਿਸ਼ਹਾ ਕਰਨਾ। ਸੀਸ਼ ਸਿਸ਼ਹਾ, ਛਰ ਸਮੀਸ਼ ਛਰ ਸ਼ੁਲਤੇ ਤੈਂ।	इेश्य से ध्वनि					
16. स्केटिंग रिंक में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है।						
17. खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि परिसर के बाहर से नहीं लाए जाएंगे। वे केवल परिसर कै	ह्टेरिया से ही					
खरीदे जाएं।						
18. प्रतियोगिता प्रबंधन एजेंसियों को स्केटिंग रिंक बुक कराने की अनुमति नहीं है।						
19. स्केटिंग रिंक में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाये रखे।						
20. प्रबंधन के पास बिना किसी कारण बताए यहाँ तक कि अल्पसूचना पर स्केटिंग रिंक की बुकिंग रद्द करने						
है।	का अधिकार					

इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम

1.	सदस्य, आश्रित सदस्य और अतिथि एवं आकस्मिक सदस्य निर्धारित शुल्क अदा करने पर बैडिमंटन कोर्ट में परिसर समय के अनुसार खेल सकते हैं।							
2.	यह एक 'भुगतान करे एवं खेले' है। निर्धारित बुकिंग शुल्क 40 मिनट प्रति कोर्ट है।							
3.	गैर सदस्यों को कोर्ट की बुकिंग करने से पहले आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।							
4.	कोर्ट बुकिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान							
	स्वागत कक्ष, प्रशासन ब्लॉक पर किया जाए और उसकी रसीद ली जाए।							
5.	सदस्यों/गैर-सदस्यों को स्टेडियम में प्रवेश करने से परिसर के ड्यूटी स्टाफ को वैद्य सदस्यता कार्ड और बुकिंग तथा							
अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क रसीद दिखानी होगी।								
6.	सदस्यों को स्टेडियम के स्वागत कक्ष पर रखे रजिस्टर में अपना नाम/विवरण भरने होंगे।							
7.	रंगीन सोल के जूते पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।							
8.	स्टेडियम में शान्ति बनाए रखें।							
9.	निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी प्रकार की अनधिकृत कोचिंग को व्यावसायिक गतिविधि माना							
	जाएगा और सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। गैर-							
	सदस्यों को अनिधकृत कोचिंग कराने के लिए परिसर से विवर्जित किया जा सकता है।							
10.	परिसर के ड्यूटी कर्मचारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे खिलाड़ियों की आकस्मिक जाँच कर सकते हैं और चूककर्ता							
	को दण्ड के तौर पर दुगुना बुकिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।							
11.	प्रबंधन, इंडोर बैडिमन्टन स्टेडियम में अथवा परिसर के अंदर हुए किसी निजी सामान को क्षति/चोरी के लिए उत्तरदायी							
	नहीं होगा।							
12.	स्टेडियम अथवा दर्शक गैलरी में ड्राइवर/नौकर का आना सख्त मना है।							
13.	बिजली चली जाने अथवा प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या अन्य किसी स्थिति में भविष्य के खेल में							
	समायोजन करके क्षतिपूर्ति की जाएगी।							
14.	धूम्रपान/थूकना सख्त मना है।							
15.	इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है।							
16.	कूड़ा फैलाने से बचने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें।							
17.	इनडोर बैडमिंटन कोर्ट में मादक पेय/शराब, खाने, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।							
18.	आवश्यक बुकिंग शुल्क का भुगतान करके सदस्य खेल की तारीख से तीन दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन							
	पहले ही कोर्ट बुक कर सकते हैं।							
19.	प्रबंधन के पास कोर्ट की बुकिंग का अधिकार है। बिना कोई कारण बताए बैडमिंटन खेलने के लिए इन्डोर बैडमिंटन							
	स्टेडियम को बंद किया जा सकता है।							
20.	खेल की अविधः खेल की अविध 40 मिनट अथवा एक गेम, जो भी पहले हो, वह होगी। 3 मिनट का समय वार्मिंग अप							
	का होगा जो ४० मिनट की अवधि में शामिल होगा।							
21.	स्पोर्टस गियरः खिलाड़ियों को अपना रैकेट और शटल कॉक स्वयं लानी होगी।							
22.	वर्दीः शर्टस अथवा ट्रैक लोअर, टी शर्ट स्पोटर्स शूज सहित। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं है।							
23.	समयः-							
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :</u>							
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक							
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>							
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक							
24.	इनडोर बैटमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने एवं नृत्य करने की अनुमति नहीं है।							
25.	परिसर प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बिना इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम के आस-पास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमति							
	नहीं है।							
26.	टूर्नामेंट के दौरान गलियारे में केवल 50 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।							
27.	इनडोर बैटमिंटन स्टेडियम में उचित मर्यादा एवं अनुशासन बनाए रखें।							
28.	इनडोर बैटमिंटन स्टेडियम में किसी भी ऑडियो-वीँडियो सिस्टम का प्रयोग न किया जाए।							
29.	फिक्स्चर/कमेंट्री की उद्घोषणा के उद्देश्य हेतु किसी माइक का प्रयोग न किया जाए।							
30.	दर्शक केवल गलियारे में बैठेंगे। उन्हें बैडिमंटन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमित नहीं है।							
31.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को सुविधा बुक करने की अनुमति नहीं है। कॉपरेंट/फर्म अपने नाम पर सुविधा को बुक करें।							

उपनियमों का सारांश

÷		1	<u>पानयमा का र</u>		<u> </u>
क्रं. सं.	खेल	समय	दिन	पोशाक	टिप्पणी
1.	टेनिस	क्ले कोर्ट शीतकालीनः प्रातः6.30 से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	खेलते समय टी शर्ट, शॉर्ट्स (महिलाओं हेतु स्कर्ट/शॉर्ट्स और लेगिंग) और नॉन मार्किंग टेनिस के जूते पहने जाने चाहिए। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में है।	क्ले कोर्ट हेतु कोई शुल्क नहीं है। सिंथेटिक कोर्ट हेतु निर्धारित शुल्क देना होगा।
		सिंथेटिक कोर्ट शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक			
		ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक			
2.	टेबल टेनिस	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	\ ' \	
		ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक			
3.	बैडमिंटन	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर। खेलते समय टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज	सदस्यों हेतु कोर्ट सं.1 और 2, आश्रितों हेतु कोर्ट सं. 3 है।
		ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक			
4.	स्काश	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रात: 10.00 बजे	_		रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं है।

	. \	तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	कार्य दिवस	स्काश शूज (वार्म अप हेतु ट्रैक सूट/केवल सर्दियों में)	
5.	ताइकांडो	शीतकालीनः शाम 4.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः शाम 4.00 बजे से शाम 7.30 बजे तक	मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार	निर्धारित यूनिफार्म	निर्धारित शुल्क। अपनी यूनिफार्म लेकर आए। प्रतिभागी आरंभ होने से 10 मिनट पहले रिपोर्ट करें।
6.	बास्केट बॉल	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स, शर्ट/टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज (वार्म अप हेतु ट्रैक सूट/केवल सर्दियों में)	बजे से रात्रि 8.00 बजे (ग्रीष्मकालीन)
7.	एरोबिक्स	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित वस्त्र	निर्धारित शुल्क
8.	योग	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ढीले वस्त्र	निर्धारित शुल्क
9.	क्रिकेट ग्रांउण्ड	प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस		निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।

10.	क्रिकेट प्रैक्टिस पिच नेट	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस		हार्ड पिच सदस्यों हेतु आरक्षित है। टर्फ पिच निर्धारित शुल्क पर बुकिंग के लिए है।
11.	तैराकी	प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक शाम 3.00 बजे से रात 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	तैराकी पोशाक	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
12.	फिटनेस केन्द्र	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ट्रैक सूट/टाइट्स, शॉर्टस और टी-शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
13.	स्केटिंग	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस		निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
14.	इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस		प्रबंधन हेतु कोर्ट सं. 1 आरक्षित है।

महत्वपूर्ण उपविधियों और खेल परिसरों में खेलों की सूची का सारांश

_				
1.	अतिथियों एवं आकस्मिक सदस्यों हेतु निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाना है।			
2.	सदस्यों को शालीनता बनायी रखनी चाहिए और पोशाक संबंधी विनियमों का पालन करना चाहिए।			
3.	सदस्यों को प्रत्येक खेल सुविधा में रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने के समय की प्रविष्टि करनी			
	होगी।			
4.	कार्ड/अंशदान भुगतान की रसीद परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध पर दिखाई जाए।			
5.	खिलाड़ियों को अपना खेल का सामान, जैसे- रैकेट, बॉल, बैट, शटल-कॉक, आदि लाना चाहिए।			
6.	समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इस बारे में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को			
	एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।			
7.	कूड़ा-करकट कही न फैलाएँ। कूड़ेदान का प्रयोग करें।			
8.	खेलने के स्थान पर शान्ति बनाए रखें।			
9.	कोर्ट/खेलने के स्थान पर धूम्रपान और शराब/मादक पेय का सेवन करना सख्त मना है।			
10.	सभी से अनुरोध है कि वे परिसर के कर्मचारियों के प्रति शालीन व्यवहार करें।			
11.	प्रत्येक खेल सुविधा स्थल पर विस्तृत उप-विधियां उपलब्ध है।			
12.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिसर की उप विधियों का पालन करेँ।			
13.	रख रखाव/सफाई आदि के कारण प्रशासन को सुविधा बन्द रखने का अधिकार है। इस संबंध में सूचना नोटिस बोर्ड			
	पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को एस.एम.एस. /ई-मेल द्वारा सूचना दी जाएगी।			
14.	शिकायत/सुझाव पुस्तिका स्वागत कक्ष पर उपलब्ध है।			
15.	प्रबंधन बोर्ड के पास उपविधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार है।			
16.	किसी भी सुविधा के लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान परिसर के प्राधिकृत कर्मचारी को ही करना चाहिए और रसीद ले			
	लेनी चाहिए। प्रशिक्षक प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परिसर के कर्मचारियों को छोड़कर किसी			
	अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में परिसर उत्तरदायी नहीं होगा।			
17.	विद्युत आपूर्ति के फेल होने, खराब मौसम, बारिश अथवा प्रबंधन के नियंत्रण के बाहर किसी अन्य अप्रत्याशित			
	परिस्थितियों में भविष्य में खेल न पाने पर शुल्क वापिस दिया जाएगा अथवा समायोजित किया जाएगा।			